

चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट

जि स देश ने दुनिया को चीनी बनाना सिखाया,वहां आज आम आदमी पृष्ठ रहा है-मिठास इतनी महंगी क्यों हो गई? भारत में चीनी सिर्फ रसोई की एक सामान्य वस्तु नहीं है। चाय के प्याले से लेकर मिठाई की दुकान तक,ल्योहरों से लेकर रोजमर्रा के खान-पान तक, चीनी भारतीय जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब इसी चीनी की कीमत आम परिवार के मासिक बजट को प्रभावित करने लगे तो सवाल केवल बाजार का नहीं रहता,बल्कि अर्थव्यवस्था, कृषि नीति और सरकारी प्रबंधन का भी बन जाता है। देश के कई हिस्सों में चीनी की खुदरा कीमतों में तेजी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल भारत में घरेलू बाजार इतना दबाव में क्यों है? जिस देश के पास विशाल गन्ना उत्पादन,सैकड़ों चीनी मिलें और करोड़ों किसानों से जुड़ा पूरा चीनी उद्योग है, वहां उपभोक्ता को महंगी चीनी क्यों खरीदनी पड़ रही है?

सरकार और विपक्ष के पास इसके अलग-अलग जवाब हैं। विपक्ष इसे सरकारी नीतियों की विफलता बता रहा है,जबकि सरकार उत्पादन में कमी, मौसम की मार,ल्योहारी मांग,वैश्विक परिस्थितियों और जमाखोरी जैसे अनेक कारण गिना रही है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। चीनी की कीमत किसी एक फैसले से तय नहीं होती। खेत में गन्ने की पैदावार से लेकर चीनी मिल की उत्पादन क्षमता,गन्ने का मूल्य,एथेनॉल उत्पादन,निर्यात नीति,घरेलू स्टॉक,वैश्विक कीमतें,परिवहन लागत और ल्योहरों के दौरान बढ़ने वाली मांग-इन सभी का असर बाजार पर पड़ता है।

यही वजह है कि चीनी की महंगाई को केवल 'एथेनॉल के कारण' या केवल 'जमाखोरी के कारण' बताना वास्तविक समस्या को बहुत सरल बना देता होगा। मौसम भी इस कहानी का बड़ा किरदार है। गन्ना ऐसी फसल है जिस पर मौसम का असर तत्काल नहीं,बल्कि कुछ समय बाद दिखाई देता है। अत्यधिक बारिश,सूखा या बीमारी उत्पादन की पूरी गणित बदल सकती है। आज खेत में हुई क्षति कल मिलों के उत्पादन में दिखाई देती है और कुछ महिनो बाद वही असर बाजार की कीमतों में पहुंचता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार के पास इन बदलावों का अनुमान लगाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होनी चाहिए?

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सरकार केवल आंकड़ों की घोषणा करने वाली संस्था नहीं हो सकती। उसे आने वाली कमी का अनुमान पहले लगाना होगा, स्टॉक की स्थिति पर लगातार नजर रखनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर आयात या अन्य नीतिगत कदम समय रहते उठाने होंगे। यदि आयात की जरूरत पड़ती है तो उसे संकट पैदा होने के बाद की प्रतिक्रिया के बजाय संकट की आशंका के समय की तैयारी बनाना जाना चाहिए। यहां एथेनॉल नीति भी महत्वपूर्ण है। भारत की पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की जरूरत है। इससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और किसानों के लिए वैकल्पिक बाजार तैयार करने में मदद मिल सकती है। लेकिन खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन भी उतना ही जरूरी है। गन्ने से चीनी बनेगी या एथेनॉल-यह सवाल अब केवल उद्योग का सवाल नहीं है। यह राष्ट्रीय नीति का सवाल है। किसान चाहता है कि उसे गन्ने का बेहतर मूल्य मिले। चीनी मिल चाहती है कि उसकी लागत निकले और उद्योग आर्थिक रूप से टिकाऊ रहे। सरकार चाहती है कि ऊर्जा नीति आगे बढ़े। और उपभोक्ता चाहता है कि उसे रोजमर्रा की जरूरत की वस्तु उचित कीमत पर मिले।

इन चारों हितों के बीच संतुलन ही असली चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है जमाखोरी।

यदि देश में पर्याप्त चीनी उपलब्ध है और इसके बावजूद कुत्रिम कमी पैदा करके कीमतें बढ़ाई जा रही हैं,तो सरकार को कठोर कार्रवाई करनी होगी। स्टॉक सीमा लगाना और निरीक्षण करना जरूरी कदम हैं,लेकिन इनका असर तभी माना जाएगा जब बाजार में वास्तविक कीमतों पर उसका परिणाम दिखाई दे। सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि उसके आदेश फाड़लों में कितने प्रभावी हैं और बाजार में कितने। विपक्ष का सत्याग्रह भी इसी बिंदु पर महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीतिक दलों को जनता की रसोई का सवाल उठाना चाहिए। लेकिन महंगाई के मुद्दे को केवल राजनीतिक नारे में बदल देना भी पर्याप्त नहीं है। विपक्ष को आंकड़ों के साथ यह बताना होगा कि कौन-सी नीति गलत है, उसका विकल्प क्या है और वह विकल्प किसान तथा उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा कैसे करेगा। सत्ता पक्ष को भी विपक्ष के आरोपों को केवल राजनीतिक विरोध मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल पूछना है और सरकार का काम उन सवालों का जवाब देना।

लेकिन जवाब केवल आंकड़ों से नहीं,परिणामों से होना चाहिए।

यदि सरकार कहती है कि स्टॉक पर्याप्त है तो उपभोक्ता को राहत क्यों नहीं मिल रही? यदि जमाखोरी जिम्मेदार है तो दोषियों पर कार्रवाई कितनी हुई? यदि उत्पादन कम है तो अगले सीजन की तैयारी क्या है? यदि आयात आवश्यक था तो निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया? और यदि बाजार शीघ्र सामान्य होने वाला है तो सामान्य कीमत का इंतजार कब खत्म होगा? ये सवाल किसी राजनीतिक दल के नहीं,आम उपभोक्ता के सवाल हैं। चीनी की महंगाई का असर भी केवल एक किलो चीनी तक सीमित नहीं रहता। मिठाई,बेकरी उत्पाद, पेय पदार्थ और कई खाद्य वस्तुओं की लागत इससे प्रभावित होती है। ल्योहरों के मौसम में इसका असर और व्यापक हो सकता है। यानी चीनी महंगी होती है तो उत्पाद प्रभावित होकर खेत से कई दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।

इसलिए सरकार को चीनी को केवल एक कृषि उत्पाद या एक औद्योगिक वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की खपत से जुड़ी आवश्यक वस्तु है।

भारत ने सदियों पहले गन्ने के रस से मिठास निकालने की तकनीक विकसित की थी। चीनी का यह सफर भारत से दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा। आज वही भारत दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादकों में शामिल है। ऐसे में यह विडंबना ही है कि उत्पादन की इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद उपभोक्ता को कीमतों के उतार-चढ़ाव से जूझना पड़ रहा है।

समस्या का स्थायी समाधान हर संकट में निर्यात रोकना,फिर निर्यात खोलना, जरूरत पड़ने पर आयात करना या अवाचनक स्टॉक सीमा लगा देना नहीं हो सकता। जरूरत है एक ऐसी दीर्घकालिक चीनी नीति की जिसमें उत्पादन, किसान, उद्योग, एथेनॉल और उपभोक्ता-सभी को साथ लेकर चला जाए। देश को यह तय करना होगा कि चीनी उद्योग में कितना उत्पादन घरेलू खपत के लिए सुरक्षित रखा जाए,कितना एथेनॉल के लिए इस्तेमाल हो, कितना निर्यात किया जा सकता है और कितना बफर स्टॉक आवश्यक है। मौसम और उत्पादन के शुरुआती संकेतों के आधार पर नीति में समय रहते बदलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

क्योंकि महंगाई आने के बाद उसका इलाज करना आसान नहीं होता। बेहतर है कि सरकार उस समय तैयारी करे जब संकट अभी दिखाई नहीं दे रहा हो। आज चीनी की कीमत पर राजनीतिक बहस हो रही है। कल किसी दूसरी खाद्य वस्तु की बारी हो सकती है। इसलिए यह मामला किसी एक दल की जीत या हार का नहीं, देश की खाद्य मूल्य-व्यवस्था की मजबूती का सवाल है।

आम आदमी को यह जानने में दिलचस्पी नहीं कि महंगाई की जिम्मेदारी किस मंत्रालय,किस नीति या किस सरकार पर है। उसकी प्राथमिकता सीधी है--रसोई का खर्च नियंत्रण में है।

सरकार को यह समझना होगा कि महंगाई के आंकड़ों में आधा प्रतिशत की गिरावट भी उस परिवार के लिए पर्याप्त राहत नहीं है जिसके घरेलू खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चीनी की मिठास तभी सार्थक है, जब किसान की मेहनत का सम्मान हो,उद्योग की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे और उपभोक्ता की जेब पर अनावश्यक बोझ न पड़े। भारत को चीनी चाहिए-लेकिन ऐसी चीनी नहीं जिसकी मिठास बाजार में हो और कड़वाहट आम आदमी की जेब में...देश ने दुनिया को मिठास बनाना सिखाया था। अब समय है कि भारत अपनी चीनी नीति में भी ऐसी व्यवस्था बनाए,जिसमें किसान को न्याय, उद्योग को स्थिरता और उपभोक्ता को राहत मिले। यही आर्थिक सुरासन की असली कसौटी है।

लेख एवं विचार अभिव्यक्ति

युगों से जीवंत है कृष्ण का विराट व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन

अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक हैं कृष्ण

भाद्रपक्ष कृष्ण अष्टमी का पावन पर्व सम्पूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनमानस के नायक,योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति,अध्यात्म और जीवन-दर्शन में श्रीकृष्ण के विराट व्यक्तित्व और उनके लोककल्याणकारी संदेशों का स्मरण कराने वाला पर्व है। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार,भाद्रपक्ष कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि के संयोग में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्रीकृष्ण का अवतरण हुआ था। अत्याचारी कंस के आतंक से त्रस्त मथुरा में श्रीकृष्ण का जन्म अन्याय और अधर्म के विरुद्ध धर्म,सत्य और न्याय की विजय की आशा का प्रतीक बना। पौराणिक मान्यता के अनुसार, श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के पूर्णावतार माने जाते हैं और उनके व्यक्तित्व में बाल-सुलभ चंचलता,अद्भुत करुणा,अनुपम प्रेम, असाधारण पराक्रम,दूरदर्शी कूटनीति तथा गहन आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने भावद्वेष्टता के माध्यम से कर्म,धर्म और कर्तव्य का ऐसा कालजयी संदेश दिया, जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। इस वर्ष 4 सितंबर को भगवान श्रीकृष्ण की 5253वीं जन्माष्टमी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है।



योगेश कुमार गोयल, नवरागगढ़, नई दिल्ली

प्रकाशक: श्रीकृष्ण घटती-घटना

मंदिरों में विशेष सजावट, झांकियों,भजन-कीर्तन और मध्धरात्रि में भगवान के जन्मोत्सव के साथ यह पर्व भारतीय सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

जन्माष्टमी के दिन देशभर में मंदिरों को सजाया जाता है,लोग रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और रात्रि 12 बजे रांख और घंटों की ध्वनि के जरिये भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्रीकृष्ण ने अपने बाल्याकाल में अनेकों लीलाएं की,जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसी ही अनेक लीलाओं का मंचन किया जाता है। सही मायनों में श्रीकृष्ण हमारे इतिहास के अभिन्न अंग हैं,जिनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व जितना मोहक था,उतना ही रहस्यमयी भी और उतनी ही अनोखी थी उनकी लीलाएं। बाल्यावस्था से लेकर जीवनपर्यंत लीलाएं करते रहे श्रीकृष्ण में कभी भगवान के दर्शन होते हैं तो कभी वे एक साधारण मानव सरीखे प्रतीत होते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि मानव के रूप में भी श्रीकृष्ण उतना ही आकर्षित करते हैं,जितना कि भगवान के रूप में। उनका एक-एक कार्य मन में गहरा स्थान बना जाता है। उनके आदर्श, उनके जीवन की विद्वता, वीरता,कूटनीति, योगी सदृश उज्ज्वल,निर्मल एवं प्रेरणादायक पक्ष,सब हमारे लिए अनुकरणीय हैं। श्रीकृष्ण को प्रेम एवं मित्रता के अनुपम प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। बचपन के निर्धन मित्र सुदामा को उन्होंने अपने राज्य में जो मान-सम्मान दिया,वह मित्रता का अनुकरणीय उदाहरण बना। श्रीकृष्ण की लीलाओं को समझना जहां पहुंचे हुए ऋषि-मुनियों और बड़े-बड़े विद्वानों के बूते से भी बाहर था, वहीं अपने , गंवार माने जाते रहे निरक्षर और



भोले-भाले ग्वाले और गोपियां उनका सानिध्य पाते हुए उनकी दिव्यता का सुख पाते रहे। उन्हें कन्हैया कहें या कृष्ण, पीताम्बर कहें या वासुदेव या फिर देवकीनंदन अथवा यशोदानंदन,वास्तव में श्रीकृष्ण का भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे महाभारत काल के ऐसे आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दृष्ट रह,जिन्होंने धर्म,सत्य और न्याय की रक्षा के लिए दुर्जनों का संहार किया। वे शांति,प्रेम एवं करुणा के साकार रूप थे। महाभारत युद्ध के समय शांति के सभी प्रयास असफल होने पर अग्रसर किया और अन्याय की सत्ता को उखो ने के लिए अपने ही कौरव भाईयों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें अपने कर्मां का पालन करने के लिए गीता का उपदेश दिया। युद्ध के समय वे हर पल धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म करने वालों के खिलाफ खड़े नजर आए,इसीलिए उन्हें

अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। गीता में उपदेश देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा था-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।

अर्थात् हे भारत ! जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है,तब-तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं अर्थात् साकार रूप से लोगों के समु्मुख प्रकट होता हूं। बाल्याकाल से लेकर बड़े होने तक श्रीकृष्ण की अनेक लीलाएं विख्यात हैं। श्रीकृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम का घमंड तो ने के लिए हनुमान जी का आन्धन किया था,जिसके बाद हनुमान ने बलराम की वाटिका में जाकर बलराम से युद्ध किया और उनका घमंड चूर-चूर कर दिया था। श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक असुर के बंदीगृह से 16100 बंदी महिलाओं को मुक्त कराया था, जिन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाने पर उन

विकसित भारत : मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे हम?

किसी देश के भविष्य के बारे में बात करते हुए उसके सामने कोई बड़ा लक्ष्य रख देना आसान है लेकिन यह समझ पाना मुश्किल होता है कि ऐसे किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश ने अब तक कितनी तैयारी की है और जिस रास्ते पर वह चल रहा है, वह वास्तव में उसे वहां ले भी जाएगा या नहीं? भारत के सामने



प्रोमहेश शर्मा नई दिल्ली

2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य है। यानी आजादी के सौ साल पूर्व होने तक भारत को उस स्थिति में पहुंचाना है, जहां उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी और मजबूत हो, नागरिकों का जीवन बेहतर हो और देश दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी निर्णायक जगह बना चुका हो। अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले एक शिक्षक के रूप में मुझे लगता है कि विकसित भारत का लक्ष्य सुनने में जितना आकर्षक है,उसकी गंभीरता उतनी ही अधिक है। आखिर विकसित राष्ट्र होना केवल इतना नहीं है कि जीडीपी का आकार बढ़ जाए या देश दुनिया की पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आ जाए। बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा कोई आर्थिक विस्तार होता है तो उसका असर देश के सामान्य नागरिक के जीवन पर कितना पड़ेगा? इसी सवाल के तहत मैं विकसित भारत की चर्चा को केवल राजनीतिक नारे या सरकारी उपलब्धियों की सूची से अलग करके देखने की जरूरत महसूस होती है। पिछले दस-बारह सालों में

देश में कई सार्थक बदलाव हुए हैं। डिजिटल तकनीक का विस्तार इसका सबसे दिखाई देने वाला उदाहरण है। जिस देश में कभी बैक खाता,पहचान और सरकारी सुविधा तक पहुंच अपने आप में बड़ी समस्या हुआ करती थी,वहां डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे ने करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन को किस प्रकार बदल दिया है,यह हमारे सामने है। सड़कों, रेल,बंदरगाहों और हवाई अड्डों के निर्माण की गति भी तीव्र हुई है। रक्षा उत्पादन में घरेलू क्षमता बढ़ाने की कोशिश हुई है। ऊर्जा के क्षेत्र में नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव उस सीच का है जिसमें भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में देखने के बजाय उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिश दिखाई देती है। यह बदलाव साधारण नहीं है। आजादी के बाद लंबे समय तक भारत की आर्थिक बहस में कृषि का संकेत और फिर सर्विस सेक्टर की सफलता प्रमुख विषय रहे। मैयूफेडरिंग सेक्टर अपेक्षित मजबूती से नहीं उभर पाया। चीन की आर्थिक सफलता महत्वपूर्ण है, इसमें हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर रोजगार और औद्योगिक क्षमता पैदा किए बिना किसी विशाल आबादी वाले देश को ऊंची आय वाले समाज में बदलना कठिन है। इसलिए सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स,रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा और दूसरी बुनियादी औद्योगिक क्षमताओं में निवेश को केवल कुछ नई फैक्ट्रियों तक सीमित मानना उचित नहीं होगा। इसके पीछे एक बड़े

आर्थिक बदलाव की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि देश अपने लिए जरूरी चीजें बनाने की क्षमता विकसित करे,वैश्विक उत्पादन श्रृंखलाओं में जगह बनाए और ऐसा औद्योगिक ढांचा खड़ा करे जो आने वाले दशकों में लाखों लोगों के लिए अवसर पैदा कर सके। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तो अपरिहार्य है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें ऊर्जा को महत्व देकर देखना चाहिए। जाहिर है,औद्योगिकीकरण होगा तो ऊर्जा चाहिए। शहर बढ़ेंगे तो बिजली चाहिए। रेवों को बिजली से चलाने आदि में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदलेगा तो ऊर्जा की दरकार बढ़ेगी। इसलिए परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और दूसरे स्रोतों पर एक साथ विचार करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम,स्टील जैसी बुनियादी धातुओं और दूसरे औद्योगिक कच्चे माल की क्षमता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। नि:संदेह देश को विकसित बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी बहुत कम है। चीन और विकसित एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना करें तो यह अंतर साफ दिखाई देता है। प्रति व्यक्ति आय का यह अंतर कई समस्याओं की जड़ है। हम 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य पर एकजुट हो कर काम करें, यह सही है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी तो सोचना होगा कि आर्थिक विकास के प्रकाश को उस बिंदु तक कैसे ले जाया जाए जहां उसकी रोशनी समाज के उन अंधकार भरे हिस्सों तक भी पहुंचे जो आज उससे पूरी तरह लाभान्वित

नहीं हो रहे हैं? इसमें दो-राय नहीं है कि देश में गरीबी कम हुई है,लोगों की ऋय शक्ति बढ़ी है, उपभोग का बाजार फेला है। यह परिवर्तन वास्तविक है लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार और स्वच्छता जैसे क्षेत्र हैं जहां अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अगर एक परिवार की आय बढ़ जाए लेकिन उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा न मिले, उसके पास मोबाइल और इंटरनेट हो लेकिन गंभीर बीमारी के इलाज के लिए उसे जमीन बेचनी पड़े तो क्या हम इसे विकसित समाज कहेंगे? इसलिए विकसित भारत का सवाल सिर्फ अर्थव्यवस्था का प्रश्न नहीं है,यह हमारे लिए सामाजिक जीवन का सवाल भी है।हमारे देश में जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो रोजगार का प्रश्न सबसे ज्यादा असहज करने वाला होता है। भारत उन देशों में है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। अगर इस युवा आबादी को लाभ के स्रोत में परिवर्तित करना है तो उसके लिए शिक्षा चाहिए, कोशल चाहिए और ऐसे रोजगार चाहिए जिनसे व्यक्ति अपने जीवन को आगे ले जा सके। अगर उद्योग बढ़ता है लेकिन रोजगार पर्याप्त नहीं बढ़ता तो विकास की तस्वीर अधूरी रह जाती है। जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है तो इस पर गंभीरता से काम होना चाहिए। देश में किसने बड़े कारखाने लगे,यह महत्वपूर्ण है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उनके आसपास कितने छोटे उद्योग खड़े हुए, कितने लोगों को स्थायी काम मिला, कितने कस्बे आर्थिक गतिविधि के नए केंद्र बने और कितने ग्रामीण परिवारों के जीवन में इसका असर पहुंचा।

मेरे कान्हा : जन्माष्टमी विशेष

डॉ. प्रियंका सौरभ,हिसार,हरियाणा

जन्माष्टमी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना में गहराई से रचा-बसा ऐसा पर्व है,जो केवल एक तिथि नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, स्मृतियों और जीवन-मूल्यों का उत्सव है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि

अनंत में शंखनाद गुंजाता है और 'नंद के घर आनंद भयो'की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय कर देती है, तब मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता है। घरों,मंदिरों और गलियों में सजी झांकियों के बीच झुले में विराजमान रहे कान्हा

श्रद्धा,प्रेम और उल्लास का केंद्र बन जाते हैं। जन्माष्टमी पर छोटे-छोटे बच्चों को कृष्ण का रूप देने की परंपरा विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। मोरपंख, पीतांबर,मुकुट,बांसुरी और नटखट मुस्कान से सजे बच्चे जब सामने आते हैं,तो वातावरण में सहज ही आनंद भर जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कान्हा बनाना केवल इतना ही है? क्या मुकुट पहनाने और बांसुरी धमाने से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? वास्तव में,बच्चे को कान्हा बनाना केवल उसकी बाहरी सज्जा नहीं,बल्कि उसके भीतर जीवन-मूल्यों के बीज बोने का अवसर है। यह अवसर हमें बताता है कि कृष्ण केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं,बल्कि प्रेम, मित्रता, करुणा,साहस,विवेक और कर्मशीलता के भी प्रतीक हैं। जब कोई बच्चा कान्हा का रूप धारण करता है,तो उसके साथ कृष्ण के चरित्र और उनके जीवन-संदेश को समझना भी उतना ही आवश्यक हो जाता



रूप से आकर्षित करती हैं। इन कथाओं में मनोरंजन भी है और जीवन की गहरी सीख भी। आज के समय में इस सीख की आवश्यकता और बढ़ गई है। आज का बचपन बल्लू चुका है। आंगन,चौपाल और खुले मैदानों की जगह मोबाइल, कंप्यूटर,वीडियो गेम और सोशल मीडिया ने ले ली है। तकनीक ने बच्चों के लिए ज्ञान और संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं, लेकिन उसके साथ एक चुनौती भी आई है--बच्चों का अपनी सांस्कृतिक जड़ों और वास्तविक सामाजिक संबंधों से दूर होना। ऐसे समय में जन्माष्टमी जैसे पर्व बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। किंतु हमें सावधान रहना होगा कि ल्योहार केवल फोटो खिंचवाने, आकर्षक वेशभूषा पहनाने और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने तक सीमित न हो जाए। यदि बच्चा कान्हा की वेशभूषा तो पहन ले, लेकिन प्रेम, सत्य, करुणा और साहस को अपने व्यवहार में न उतारे,तो ल्योहार का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

शक्कर की महंगाई पर कांग्रेस का सत्याग्रह, सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

विवेकानंद प्रतिमा के सामने प्रदर्शन...कांग्रेस बोली-40 रुपये वाली शक्कर 60-75 रुपये तक पहुंची,सरकार बताए महंगाई का जिम्मेदार कौन?

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026
 (घटती-घटना)।

रसोई के बजट पर बढ़ते बोझ को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने गुरुवार को विवेकानंद प्रतिमा के सामने सत्याग्रह कर केन्द्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि,कांग्रेस ने कीमतों में 40 से 78 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने का दावा किया है, जबकि उपलब्ध ताजा बाजार रिपोर्टों में विभिन्न शहरों में खुदरा कीमतें लगभग 60 से 75 रुपये प्रति किलो तक बताई गई हैं। 2 सितंबर तक अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत में कुछ गिरावट आकर करीब 62.57 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई थी।

कांग्रेस का आरोप...नीतियों का खामियाजा उपभोक्ता भुगत रहा : कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियों के कारण घरेलू बाजार में शक्कर की उपलब्धता और कीमतों पर दबाव बढ़ा है। पार्टी ने इथेनॉल के लिए गुनै/शक्कर के डायवर्जन, शक्कर के निर्यात और घरेलू स्टॉक को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए। लेकिन इस आरोप पर सरकार का पक्ष अलग है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा मूल्य वृद्धि को केवल इथेनॉल डायवर्जन से जोड़ना सही नहीं है। सरकार के अनुसार इथेनॉल के लिए डायवर्जन का हिस्सा 2022-23 के करीब 12% से घटकर 2025-26 में करीब 9% हुआ है। सरकार ने कीमत बढ़ने के पीछे कम उत्पादन,



त्योहारी मांग, मौसम से फसल को नुकसान, वैश्विक आपूर्ति और कुछ व्यापारियों/मिलों द्वारा जमाखोरी-सट्टेबाजी जैसे कारण भी बताए हैं। यानी शक्कर की महंगाई पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन असली परीक्षा बाजार में कीमत कम करने की है।

‘घ्यास लगाने पर कुआं खोदने’ का तंज : सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने केंद्र सरकार द्वारा कच्ची शक्कर के आयात के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे ‘घ्यास लगाने पर कुआं खोदने’ जैसा कदम बताया। उनका कहना था कि आयातित शक्कर को भारत पहुंचने,रिफाइन होने और बाजार तक आने में समय लेगा,जबकि आम उपभोक्ता आज महंगी शक्कर खरीदने को

मजबूर है। दरअसल,केंद्र ने अगस्त में 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची शक्कर के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है। बाद में आयातकों की शिपिंग संबंधी दिक्कतों को देखते हुए कच्ची शक्कर को रिफाइन कर घरेलू बाजार में बेचने की समयसीमा भी बदली गई।

सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए भी उठाए कदम : महंगाई पर विपक्ष के हमले के बीच केंद्र सरकार का कहना है कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लगाई गई है और मिलों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं के लिए भी 15 दिनों की खपत से अधिक स्टॉक रखने पर रोक की व्यवस्था लागू की गई। सरकार ने 15 सितंबर से



महंगाई के बीच आंकड़ों का अपना खेल...

कांग्रेस का कहना है कि देश में करीब 28 लाख मीट्रिक टन मासिक खपत के मुकाबले पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के बावजूद सरकार की नीतियों ने संकट बढ़ाया। दूसरी ओर, उद्योग के एक प्रमुख प्रतिनिधि ने अगस्त में कहा था कि देश में वास्तविक शक्कर की कमी नहीं है और हालिया तेंजी में सट्टेबाजी व जमाखोरी की भूमिका अधिक हो सकती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में उत्पादन करीब 27.9 मिलियन टन रहा और घरेलू खपत लगभग 28-28.5 मिलियन टन रहने का अनुमान था। इससे तस्वीर साफ है कि शक्कर की कीमत बढ़ने की वजह एक ही नहीं है—उत्पादन,शुरुआती स्टॉक,त्योहारी मांग,निर्यात,इथेनॉल डायवर्जन,वैश्विक बाजार और जमाखोरी सभी कारक चर्चा में हैं।

कांग्रेस की मांग...अधिकतम खुदरा मूल्य तय करे सरकार...

बालकृष्ण पाठक ने सरकार से तत्काल अधिसूचना जारी कर शक्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य 40 रुपये प्रति किलो निर्धारित करने और इससे अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करने की मांग की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा सोनी ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बढ़ती कीमतों का सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग की रसोई पर पड़ रहा है।

चीनी डीलरों की स्टॉक सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल करने की घोषणा भी की है, जिसका उद्देश्य जमाखोरी और कृत्रिम कमी पर अंकुश लगाना है।

सीए भी साइबर ठगों के निशाने पर...सरगुजा पुलिस ने बताए बचाव के तरीके

‘साइबर जागृति अभियान’ के तहत सीए एसोसिएशन में जागरूकता

शिविर,डिजिटल अरेस्ट,इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और फिशिंग से बचने दिए टिप्स

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026
 (घटती-घटना)।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असोला में संस्कृत दिवस के अवसर पर संस्कृत सप्ताह समारोह का आयोजन उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। सप्ताहभर विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर संस्कृत भाषा के प्रति अपनी रूचि और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह के प्रथम दिवस मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दीप ज्योति मंत्र और सरस्वती वंदना से विद्यालय परिसर संस्कृतमय हो उठा। विद्यार्थियों ने संस्कृत के सरल शब्दों एवं वाक्यों का बोलचाल में प्रयोग करते हुए अपना परिचय, प्रश्नोत्तरी,अभिनय सहित विभिन्न रोचक प्रस्तुतियां दीं। सप्ताहभर नृत्य, नाटक,संस्कृत गीत,सूक्ति,श्लोक,वाद-विवाद, निबंध लेखन,भाषण,चित्रकला



और अभिनीत कहानी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। संस्कृत शिक्षिका श्रीमती दीपलता देवमुख के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। संस्कृत गीतों की प्रस्तुति एवं उन पर आधारित नृत्य कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती ... गौर ने विद्यार्थियों को संस्कृत सप्ताह की शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और संस्कारों को समझने तथा संरक्षित रखने में

संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत को केवल विषय के रूप में नहीं,बल्कि दैनिक बोलचाल में भी प्रयोग करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन कक्षा दसवीं की छात्राओं सुषमा यादव एवं ज्योति ने किया। आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यार्थियों ने बड़े-चढ़कर हिस्सा लेते हुए संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया।

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026
 (घटती-घटना)।

डिजिटल लेनेदन बढ़ने के साथ साइबर ठगी के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसी को देखते हुए ‘साइबर जागृति अभियान’ के तहत सरगुजा पुलिस ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों के लिए विशेष साइबर जागरूकता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल ने वित्तीय क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स को साइबर अपराधों से बचाव के महत्वपूर्ण तरीके बताए। कार्यक्रम डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में आयोजित किया गया। सीए एसोसिएशन ने जागरूकता कार्यक्रम के लिए पुलिस अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से प्रोफेशनल्स के साथ आम लोगों को भी साइबर अपराधों के प्रति सतर्क करने में मदद मिलेगी।

वित्तीय डेटा की सुरक्षा सबसे जरूरी : सीएसपी राहुल बंसल ने कहा कि ऑनलाइन वित्तीय लेनेदन बढ़ने के साथ



साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। सीए के पास व्यवसायियों और आम नागरिकों से जुड़ा महत्वपूर्ण वित्तीय डेटा रहता है, इसलिए उनके लिए साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है। कार्यशाला में फिशिंग लिंक, फर्जी ई-मेल, स्फुफिंग कॉल, निवेश संबंधी ठगी, डिजिटल अरेस्ट और लोन ऐप स्कैम के तौर-तरीकों की जानकारी दी गई। क्लाउंट्स के संवेदनशील

वित्तीय डेटा और पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे सुरक्षा उपाय अपनाने पर जोर दिया गया।

ठगी होते ही 1930 पर करें शिकायत : साइबर ठगी होने पर तत्काल कार्रवाई को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने और cybercrime.gov.in

के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी। साइबर एक्सपर्ट आरक्षक अनुज जायसवाल ने तकनीकी संसाधनों के सुक्ष्म उपयोग और साइबर अपराधों से बचाव के व्यावहारिक उपाय बताए।

पुलिस की पहल का स्वागत : सीए एसोसिएशन के सदस्यों ने सरगुजा पुलिस की पहल की सराहना करते हुए कहा कि वे स्वयं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के साथ अपने क्लाउंट्स और आम लोगों को भी सतर्क करेंगे। एसोसिएशन की ओर से डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल से भेंट कर कार्यक्रम के लिए आभार भी व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ सीए एच.एस. जायसवाल,संयोजक धीरज अग्रवाल सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य,जिले के सीए, नवाबिहन टीम के अध्यक्ष तिवारी, मंगल पाण्डेय,उप निरीक्षक अभय तिवारी, साइबर सेल प्रभारी एसएसआई अजीत मिश्रा,आरक्षक अनुज जायसवाल और राहुल केरकेड्ड उपस्थित रहे।

अंतिम संस्कार से पहले उठे सवाल,शव लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे परिजन

नाबालिग आदिवासी बालिका की फांसी से मौत पर संदेह,दोबारा पोस्टमार्टम की मांग...

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।
 सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी बालिका की फांसी से मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंपे जाने के बावजूद परिवार और समाज के लोगों ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार देर शाम परिजन शव लेकर अंबिकापुर स्थित आईजी कार्यालय पहुंचे और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। मामला प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत करौंधा का है। मृतका बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और करौंधा निवासी श्रृंगण जायसवाल के घर में रहकर घरेलू काम करती थी। मंगलवार दोपहर खाना खाने के बाद वह कमरे में आराम करने चली गई थी। शाम को कमरे में नहीं दिखने पर घरवालों ने तलाश की तो वह फांसी के फंदे पर लटकती मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया था। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे,इसी दौरान घटना की जानकारी समाज के लोगों को हुई। इसके बाद परिजन और समाज के लोग शव लेकर अंबिकापुर पहुंचे। परिजनों ने घटना को लेकर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मौत की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके।



जिला अस्पताल परिसर से दो बाइक चोरी,रिपोर्ट दर्ज

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।
 जिला अस्पताल परिसर से दो व्यक्ति का बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर निवासी रोहन प्रसाद पिछले चार साल से अंबिकापुर के बौरौपारा में रह रहा है। वह अपने परिचित सामिल किछे की बाइक क्रमांक सीजी 15 एसी 2067 का करीब तीन साल से उपयोग कर रहा था। 24 अगस्त को रोहन जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती अपने रिश्तेदार से मिलने गया था। सुबह करीब 11.15 बजे उसने बाइक अस्पताल परिसर में खड़ी की और अंदर चला गया। करीब 1 बजे वापस लौटने पर बाइक निर्धारित स्थान से गायब थी। आसपास तलाश करने और लोगों से पूछताछ के बाद भी बाइक का पता नहीं चला। इसके बाद रोहन ने पुलिस सहायता केंद्र में शिकायत की। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर बाइक चोरी होने की जानकारी सामने आई। पीड़ित ने मणिपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं दूसरी घटना बौरौपारा निवासी संतोष अग्रवारी 1 सितंबर को अपनी बाइक क्रमांक सीजी 15 ईडी 2753 से जिला अस्पताल में परिचित को ब्लड देने गया था।

बूम बैरियर गिरा तो ‘वीआईपी गुस्सा’ टोलकर्मों पर बरसा!

मंत्री के काफिले की गाड़ी पर गिरा टोल बूम,कर्मचारी हाथ जोड़ता रहा...थप्पड़ पड़ते रहे...वीडियो वायरल...थाने पहुंचा मामला

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026
 (घटती-घटना)।

सरकारी व्यवस्था में आम आदमी को अक्सर नियम-कायदे समझाने वाले वीआईपी काफिले के सामने वही नियम कितने बेबस हो जाते हैं,इसकी तस्वीर लखनपुर के लहपटरा टोल नाके से सामने आई है। मामला इतना भर था कि टोल का बूम बैरियर मंत्री के काफिले की गाड़ी पर गिर गया। इसके बाद गुस्सा इतना बढ़ा कि बैरियर तो बच गया, लेकिन एक टोलकर्मों के गाल जरूर ‘वीआईपी प्रोटोकॉल’ की मार झेल गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में टोल कर्मचारी हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है,जबकि उसके सामने मौजूद व्यक्ति उसे थपड़ मारता दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल यह है कि गलती मशीन की थी तो सजा कर्मचारी को किस नियम के तहत दी गई?

बूम अपने आप गिरा,लेकिन थप्पड़ अपने आप नहीं पड़े : जानकारी के अनुसार अंबिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर लहपटरा टोल नाके से रात करीब 12:30 बजे महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का काफिला गुजर रहा था। आगे चल रही गाड़ी के निकलने के बाद स्वचालित टोल प्रणाली के तहत बूम बैरियर नीचे आया और पीछे आ रही मंत्री की गाड़ी से टकरा गया। इससे वाहन को नुकसान पहुंचा। बस फिर क्या था—बूम गिरने की खटक के बाद टोल प्लाजा पर वीआईपी गुस्से की



आवाजें गुंजने लगीं। रिपोर्टों के अनुसार मंत्री के निजी सहायक ओम प्रकाश राजवाड़े पर टोल कर्मचारी के साथ गाली-गलौज और मारपीट का आरोप है। वीडियो में कर्मचारी हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई दे रहा है।

‘माफ कर दीजिए साहब’...लेकिन थप्पड़ का हिसाब कौन देगा? वायरल वीडियो की सबसे परेशान करने वाली तस्वीर यही है कि एक कर्मचारी हाथ जोड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता दिखाई देता है। सामने खड़ा व्यक्ति लगातार थप्पड़ मारता नजर आता है।

अब सवाल यह नहीं कि बूम बैरियर क्यों गिरा? सवाल यह भी है कि यदि बूम सिस्टम में तकनीकी या संचालन संबंधी गलती हुई थी तो उसकी जांच कौन करता? टोल कंपनी से जवाब कौन मांगता? नुकसान का आकलन कौन करता? क्या सड़क पर कानून का काम जांच करना है या मौके पर ही ‘तुरंत न्याय’ कर देना? फॉलो वाहन होता तो शायद बूम भी



‘वीआईपी’ पहचान लेता! टोल कर्मचारियों की ओर से एक दिलचस्प सफाई सामने आई है। बताया गया कि काफिले में पहले की तरह फॉलो वाहन नहीं था। आगे वाली गाड़ी निकल गई और उसके पीछे मंत्री का वाहन होने की जानकारी टोलकर्मियों को नहीं हो सकी। इसी कारण स्वचालित सिस्टम ने बूम नीचे कर दिया। यानी मामला तकनीक और प्रोटोकॉल के बीच फंसा गया।

बूम को क्या पता कि पीछे आने वाली गाड़ी आम आदमी की है या मंत्री की? मशीन ने अपना काम किया—लेकिन मशीन के बाद इंसानों ने जो किया, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं।

थाने पहुंचा टोलकर्मों,अब पुलिस तय करेगी ‘किसका प्रोटोकॉल’: घटना के बाद पीड़ित टोल कर्मचारी महेंद्र राजवाड़े अन्य टोलकर्मियों और ग्रामीणों के साथ लखनपुर थाने पहुंचा और शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अब गैर पुलिस के

कागजों में हर घर जल, बिजली चट्टान में ढोढ़ी के पानी का सहारा...सीतापुर की पहाड़ी बस्ती में विशेष

पिछड़ी जनजाति के परिवारों की जिंदगी मुश्किल,स्वच्छ पेयजल के लिए ग्रामीणों ने लगाई गुहार

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026
 (घटती-घटना)।

सरकार हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के दावे कर रही है,लेकिन सीतापुर विकासखंड के ग्राम बिजली चट्टान की पहाड़ी बस्ती में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीजीटी) के परिवार आज भी ढोढ़ी के पानी पर निर्भर हैं। बस्ती में नल-जल की स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण इसी पानी का इस्तेमाल पीने, खाना बनाने और रोजमर्रा के कामों में कर



रहे हैं। सरकारी योजनाओं में जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पानी पहुंचाने का



लक्ष्य रखा गया है। बावजूद इसके बिजली चट्टान की पहाड़ी बस्ती के परिवारों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच सका है।

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें स्वच्छ पेयजल के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ढोढ़ी का पानी भी साफ नहीं है, जिससे गंद पानी पीने से बीमारी का खतरा बना रहता है। एक ओर शासन-प्रशासन, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का दावा करता है, वहीं बिजली चट्टान की बस्ती में रहने वाले परिवार आज भी पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बस्ती में हैडपंप या नल-जल योजना के तहत स्थायी व्यवस्था हो

जाए तो उन्हें काफी राहत मिलेगी।
ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार : बस्ती के अजय राम, सोमार साय, बंधनू राम, सनी राम, घुरसाय,न्हारो बाई, अंजना बाई,मनियारी बाई,धनेश्वर राम, संजय राम,कुंवर साय,दिनेश राम, सीताराम,नान साय और सुखमतिा बाई सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बस्ती में हैडपंप लगाने अथवा नल-जल योजना से पानी उपलब्ध कराने की मांग की है।



- 22 अगस्त की रात टीएमसी स्टोर से चोरी
- 27 अगस्त को 4 आरोपी गिरफ्तार, 40 लाख का माल बरामद
- 1 सितंबर को खरीदार सुजीत तामकार गिरफ्तार, 10 लाख का माल बरामद
- अब उठे कई सवाल!

कोरिया पुलिस का कमाल : चोर 27 को मिले, खरीदार 1 सितंबर को 50 लाख की चोरी का गणित बिल्कुल फिट!

पहले 40 लाख की बरामदगी, फिर 10 लाख का 'अचानक' प्रकट होना...पुलिस की दूसरी विज्ञप्ति ने खोल दिए कई नए सवाल...

40 लाख की पहली बरामदगी के बाद 10 लाख का दूसरा खुलासा, पुलिस की दो प्रेस विज्ञप्तियों ने खड़े किए जांच की टाइमलाइन पर सवाल

टीएमसी की 50 लाख की चोरी, चोरों की गिरफ्तारी के पांच दिन बाद कथित खरीदार क्यों पकड़ा गया?

40 लाख का माल पहले मिला, 10 लाख बाद में, कोरिया पुलिस की चोरी की कहानी में 'खरीदार' का लेट एंट्री!

चोर पकड़े, माल बरामद...फिर पांच दिन बाद मिला खरीदार! कोरिया पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

50 लाख की चोरी, 40 लाख की बरामदगी और पांच दिन बाद 10 लाख का 'खुलासा'

कोरिया पुलिस का '50 लाख वाला गणित': 40 लाख + 10 लाख = पूरा माल बरामद!

चोरी खुली या कहानी? पहले चोर, फिर खरीदार...पांच दिन में बदली पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति

चोरों से खरीदार तक पुलिस की 'पांच दिन की यात्रा', 50 लाख की चोरी में उठे बड़े सवाल

'माल पूरा बरामद'...लेकिन खरीदार पांच दिन बाद! कोरिया पुलिस की कहानी में कई अनुत्तरित सवाल

-विं सिंह-

कोरिया, 03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। कोरिया पुलिस में चोरी के मामले का खुलासा भी कभी-कभी चोरी से ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, चोरी होती है, एफआईआर दर्ज होती है, साइबर सेल सक्रिय होता है, चोर पकड़े जाते हैं, माल बरामद होता है और फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी होकर बताया जाता है कि पुलिस ने शानदार सफलता हासिल कर ली, जनता भी सोचती है कि चलो, मामला खुल गया, लेकिन कुछ मामलों में पुलिस का 'खुलासा' ही नए सवालों का ताला खोल देता है। बता दें कि टीएमसी पाण्डेपाय की झिलमिली साइट के स्टोर से हुई लाखों रुपये की चोरी का मामला फिलहाल इसी श्रेणी में खड़ा दिखाई दे रहा है, पुलिस की पहली प्रेस विज्ञप्ति में चार आरोपियों की गिरफ्तारी और करीब 40 लाख रुपये के चोरी के पार्ट्स की बरामदगी का दावा किया गया, इसके बाद 1 सितंबर को दूसरी विज्ञप्ति आई, जिसमें कथित खरीदार सुजीत ताम्रकार की गिरफ्तारी और उसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपये के पार्ट्स बरामद करने की बात कही गई, इसके बाद पुलिस ने कहा की चोरी हुआ पूरा सामान बरामद कर लिया गया, गणित देखिए की 40 लाख और 10 लाख मिलाकर 50 लाख, हिसाब तो बिल्कुल ठीक, लेकिन

सरगुजा में पहाड़ी कोरवा-पंडो में मिला लेप्टोस्पाइरा और स्क्रब टाइफस का संक्रमण

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा के आदिवासी बहुल इलाकों में पहाड़ी कोरवा और पंडो जनजाति के लोगों में लेप्टोस्पाइरा (रैट फीवर) और स्क्रब टाइफस का संक्रमण सामने आया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार बुखार के मामलों की जांच के दौरान दोनों संक्रमणों की पुष्टि हुई है। इस साल अब तक लेप्टोस्पाइरा के 50 और स्क्रब टाइफस के 22 मरीज मिल चुके हैं।

हालांकि, उपचार के बाद सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. पंकज टेभूलकर के अनुसार, जिन मरीजों का पांच दिन बाद भी बुखार नहीं उतरता है, उनके ब्लड सैपल की जांच कराई जाती है। ऐसे मरीजों में लेप्टोस्पाइरा और स्क्रब टाइफस की आशंका होने पर एलजा टेस्ट कराया जा रहा है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तत्काल मामलों की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन,

कम्युनिटी मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी विभाग की संयुक्त टीम संक्रमण को लेकर रिसर्च कर रही है। टीम प्रभावित गांवों में भी पहुंचेगी। यहां मरीजों की जांच के साथ आवश्यक सैपल लिए जाएंगे, ताकि संक्रमण के कारणों और इसके फैलाव की स्थिति का पता लगाया जा सके। लेप्टोस्पाइरा और स्क्रब टाइफस दोनों संक्रमणों का समय पर पता चलना और उपचार शुरू होना जरूरी है। देरी होने पर संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है।

ग्रामीणों की सतर्कता से खुली मवेशी तस्करी की पोल, तीन आरोपी गिरफ्तार शंकरगढ़ पुलिस की कार्रवाई, क्रूरता से बांधे 3 मवेशी बरामद, तस्करी में इस्तेमाल अर्तिगा जत्त

-संवाददाता-

शंकरगढ़, 03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

मवेशियों की अवैध तस्करी के खिलाफ शंकरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल अर्तिगा कार क्रामाक CG 12-BF-6072 जम्ब की है। वहीं मौके से क्रूरतापूर्वक हाथ-पैर और गर्दन बांधे गए तीन मवेशियों की भी बरामद किया गया। पिकअप में मवेशी लोड करते देख ग्रामीण ने दी सूचना : पुलिस के



अनुसार मामला जसवंतपुर के बाघ टोंगरी के पास का है। ग्रामीण हर्माद कुमार

ने सूचना दी कि कुछ लोग पिकअप और कार खड़ी कर मवेशियों को जबरन पिकअप में लोड कर रहे हैं। ग्रामीणों की आहट मिलते ही पिकअप और अर्तिगा के चालक वाहन लेकर भागने लगे। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को पकड़ लिया। मौके से तीन मवेशी भी बरामद किए गए, जिन्हें कथित रूप से हाथ-पैर और गर्दन बांधकर ले जाने की तैयारी थी।

पूछताछ में झारखंड तक तस्करी का खुलासा : पुलिस के मुताबिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों

ने बताया कि सीतापुर और आसपास के पहाड़ी इलाकों से मवेशी एकत्र कर पिकअप के माध्यम से झारखंड के बूचड़खानों तक ले जाने की योजना थी। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी— कौशर अंसारी (32), निवासी मानपुर, थाना रंका, जिला गढ़वा, झारखंड मिल्लत अंसारी (27), निवासी मानपुर, थाना रंका, जिला गढ़वा, झारखंड, सोनू उर्फ नुरुल हसन (25), निवासी मुरका, थाना राजपुर, जिला बलरामपुर।

पहली विज्ञप्ति बनाम दूसरी विज्ञप्ति

बिंदु	पहली प्रेस विज्ञप्ति	दूसरी प्रेस विज्ञप्ति
चोरी	करीब 50 लाख	करीब 50 लाख
गिरफ्तारी	4 आरोपी	कथित खरीदार सुजीत ताम्रकार
बरामदगी	करीब 40 लाख	करीब 10 लाख
तारीख	27 अगस्त	1 सितंबर
स्थिति	शेष माल/आरोपियों की तलाश	पूरा माल बरामद
बड़ा सवाल	खरीदार कौन?	खरीदार पहले क्यों नहीं?

पांडेय जी तक सूचना पहले कैसे पहुंची?— यही वह बिंदु है जहां स्थानीय चर्चाओं में कोरिया पुलिस से जुड़े प्रधान आरक्षक पांडेय का नाम सामने आता है, आरोप है कि कथित सड़क किनारे पड़े सामान की जानकारी उन्हें मिली और फिर उन्होंने पटना पुलिस को इसकी सूचना दी, यदि यह तथ्य जांच में सही पाया जाता है तो सवाल बनता है पांडेय को ही यह सूचना क्यों मिली? और उनसे पहले पुलिस को जानकारी क्यों नहीं थी? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि चोरी के सामान को किसी आरोपी अथवा उसके सहयोगी ने रास्ते में फेंका था, तो उसके बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति खुद जांच की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है, इसलिए सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके पुलिसकर्मी तक पहुंचने की कहानी जांच का हिस्सा होनी चाहिए।

'सुपर कॉप' और 'मायावी' की चर्चा?— इस मामले के साथ एक और पुलिसकर्मी का नाम स्थानीय चर्चाओं में लिया जा रहा है, जो वर्तमान में पड़ोसी एमसीबी जिले में पदस्थ बताया जाता है, स्थानीय स्तर पर उसके लिए 'सुपर कॉप', 'मायावी' जैसे उपनाम इस्तेमाल किए जाने की चर्चा है, आरोप यह भी लगाए जाते रहे हैं कि जिला छोड़ने के बाद भी कोरिया में उसका प्रभाव और संपर्क बना हुआ है, यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सभी आरोप और चर्चाएं हैं, स्थापित तथ्य नहीं, किसी पुलिसकर्मी पर अवैध कारोबारियों को संरक्षण देने, आरोपी को बचाने या लेनदेन करने जैसे आरोप गंभीर हैं और इनकी पुष्टि केवल स्वतंत्र जांच, विभागीय रिकॉर्ड या अन्य विश्वसनीय स्रोतों से ही हो सकती है, लेकिन यदि ऐसे आरोप बार-बार उठ रहे हैं तो उन्हें जांच के दायरे में लाना विभाग के हित में ही होगा।

तिवारी जी एमसीबी में... फिर कोरिया में मौजूदगी क्यों?— सबसे बड़ा सवाल संबंधित पुलिसकर्मी की कोरिया जिले में कथित मौजूदगी को लेकर है, यदि वह वर्तमान में एमसीबी जिले में पदस्थ है तो यह पता लगाया जा सकता है कि चोरी की घटना और उसके बाद की जांच के दौरान वह कोरिया जिले में कब-कब आए, इसके लिए किसी विशेष जासूसी की आवश्यकता नहीं, सीसीटीवी देखिए, मोबाइल लोकेशन देखिए, वाहन की आवाजों देखिए, कॉल डिटेल देखिए, यदि वे नहीं आए तो आरोप खत्म, यदि आए तो आने का कारण दर्ज होगा, और यदि उनका इस केस से कोई संबंध नहीं था तो जांच उसी तथ्य को साबित कर देगी।

'लाल महल' की चर्चा भी सीसीटीवी में खोजी जा सकती है— स्थानीय लोगों के हवाले से यह भी चर्चा है कि संबंधित पुलिसकर्मी का बैकग्राउंड जिला मुख्यालय में

आना-जाना बना रहता है और एक खास स्थान, जिसे स्थानीय बोलचाल में 'लाल महल' कहा जा रहा है, से उसके संपर्क की चर्चा होती है, इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन यदि सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं तो मामला सरल है, तारीख निकालिए, फुटेज देखिए, व्यक्ति की पहचान कीजिए, वाहन देखिए, अगर कुछ नहीं है तो चर्चा खत्म, अगर फुटेज में मौजूदगी है तो फिर अगला सवाल होगा— किससे मिलने आए थे और क्यों? यानी इस पूरे मामले में आरोपों का जवाब भी आरोप से नहीं, रिकॉर्ड से दिया जा सकता है।

क्या पुलिस ने पूरी 'चेन' पकड़ी या सिर्फ चोरी का माल?— चोरी के मामले का खुलासा केवल सामान बरामद होने से पूरा नहीं माना जाना चाहिए, असली सवाल पूरी श्रृंखला का है स्टोर से सामान किसने निकाला? किसने वाहन में रखा? किसने रास्ता बताया? किसने जंगल में छिपाया? किसने खरीदा? किसने आगे बेचा? किसने भुगतान किया? किसने सामान इधर-उधर किया? किसने सड़क किनारे फेंका? और किसे पहले से पता था कि सामान कहाँ है? यदि पुलिस इन सभी कड़ियों को जोड़ देती है तो मामला वास्तव में मजबूत खुलासा कहलाएगा।

वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ सीधी मांग...

- पहला—पूरी टाइमलाइन सार्वजनिक हो 22 अगस्त से 1 सितंबर तक पुलिस ने कब-कब क्या कार्रवाई की?
- दूसरा—कथित खरीदार तक पहुंचने की कहानी बताई जाए सुजीत ताम्रकार का नाम पुलिस को कब पता चला?
- तीसरा—सीसीटीवी जांच हो घटनास्थल से लेकर माल के संभावित परिवहन मार्ग तक।
- चौथा—वाहन की जांच हो कि सामान वाहन से चोरी का माल गया?
- पांचवां—कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच हो चोरों और कथित खरीदार के बीच संपर्क था या नहीं?
- छठा—पुलिसकर्मियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच हो क्या किसी दूसरे जिले में पदस्थ पुलिसकर्मी ने इस केस में हस्तक्षेप किया?
- सातवां—बरामद माल का स्वतंत्र मूल्यांकन हो 40 लाख और 10 लाख की कीमत किस आधार पर तय हुई?



23 किसानों के नाम पर फर्जी पंजीयन और धान बिक्री का आरोप	
वास्तविक रकबा	20.94 हेक्टेयर
अतिरिक्त फर्जी रकबा	67.33 हेक्टेयर
कुल पंजीयन रकबा	88.27 हेक्टेयर
कुल धान बिक्री	4728.80 क्विंटल



खेत में नहीं बढ़ी जमीन, कागज पर रकबा बढ़ा और बिक गया 4728.80 क्विंटल धान!

दो साल... एक जैसा खेल? शिवप्रसादनगर में कम रकबे पर ज्यादा पंजीयन और हजारों क्विंटल धान खरीदी का आरोप

- 2023-24 में समिति प्रबंधक सोहराब अंसारी पर सवाल, 2024-25 में सोहराब अंसारी और साधना कुशवाहा की भूमिका घेरे में...
- 23 किसानों के नाम पर 67.33 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबे और 4728.80 क्विंटल धान बिक्री के दावे ने खोली व्यवस्था की पोल
- 23 किसानों की वास्तविक 20.94 हेक्टेयर जमीन के मुकाबले 88.27 हेक्टेयर रकबा दर्ज करने का आरोप...
- 67.33 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबे पर सवाल—2023-24 और 2024-25 की खरीदी की जांच की मांग...
- पहले ओड़गी ब्लॉक के किसानों का रकबा शिवप्रसादनगर समिति के किसानों के नाम जोड़ने का आरोप, फिर उसी आधार पर धान खरीदी
- खबरें और शिकायतें सामने आने के बाद भी कार्रवाई पर सवाल... क्या कागजों में बढ़ता रहा खेत और गोदाम में आती रही फसल...
- शिवप्रसादनगर में रकबा बढ़ा, धान बिका... अब एफआईआर और जांच का इंतजार
- दो साल, एक जैसा खेल? रकबा बढ़ाने के आरोपों से घिरी शिवप्रसादनगर धान खरीदी
- कागज पर खेत बढ़े, धान के आंकड़े दौड़े—शिवप्रसादनगर समिति पर गंभीर सवाल
- खबरें छपीं, दस्तावेज सामने आए... फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं... शिवप्रसादनगर के रकबा कांड पर सवाल

—आंकार पाण्डेय—

सूरजपुर, 03 सितम्बर 2026

(घटती-घटना)

सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक की शिवप्रसादनगर धान खरीदी समिति एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है, इस बार मामला सिर्फ एक किसान, एक सीजन या किसी मामूली रिकॉर्ड त्रुटि तक सीमित नहीं बताया जा रहा, सामने आई शिकायतों और उपलब्ध विवरण के अनुसार धान खरीदी वर्ष 2023-24 और 2024-25, लगातार दो खरीदी वर्षों में किसानों के वास्तविक रकबे से अधिक भूमि का पंजीयन कर उसी आधार पर हजारों क्विंटल धान खरीदी किए जाने का आरोप है। आरोप है कि वर्ष 2023-24 में समिति प्रबंधक/धान खरीदी प्रभारी सोहराब अंसारी द्वारा ओड़गी ब्लॉक के किसानों के रकबे को शिवप्रसादनगर समिति के अंतर्गत पंजीकृत किसानों के नाम पर वास्तविक रकबे से अधिक दर्ज कराया गया और उसके आधार पर धान खरीदी की गई, इसके बाद वर्ष 2024-25 में भी कथित रूप से यही प्रक्रिया दोहराई गई, इस वर्ष समिति प्रबंधक सोहराब अंसारी और धान खरीदी प्रभारी साधना कुशवाहा की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि ओड़गी ब्लॉक के किसानों की जमीन का रकबा शिवप्रसादनगर समिति के पंजीकृत किसानों के नाम पर वास्तविक रकबे से अधिक दर्ज कराया गया और फिर उसी आधार पर हजारों क्विंटल धान खरीदी की गई, इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण निम्न जांच से ही होगा, लेकिन यदि उपलब्ध आंकड़े और रिकॉर्ड जांच में सही पाए जाते हैं तो मामला किसान पंजीयन से लेकर धान खरीदी और सरकारी भुगतान तक पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग करता है।

2023-24 में शुरू हुआ मामला या तभी से चल रहा था खेल?

सबसे महत्वपूर्ण सवाल वर्ष 2023-24 से जुड़ा है, आरोप है कि उस खरीदी वर्ष में समिति प्रबंधक/धान खरीदी प्रभारी सोहराब अंसारी ने ऐसे अधिक, यदि ऐसा हुआ तो सवाल केवल यह नहीं कि पंजीयन किसने किया। सवाल यह है कि रकबा सत्यापन किसने किया? किसान के पास जितनी जमीन थी, उसका रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास उपलब्ध होना चाहिए, ऐसे में पंजीयन के समय वास्तविक रकबे और दर्ज रकबे का मिलान क्यों नहीं हुआ? क्या किसान

2024-25 में फिर वही कहानी, इस बार साधना की भूमिका भी सवालों में

यदि वर्ष 2023-24 का मामला केवल रिकॉर्ड की गलती थी तो अगले खरीदी वर्ष में वही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आरोप है कि वर्ष 2024-25 में भी अधिक रकबा दर्ज कर धान खरीदी की गई, इस बार शिकायत में समिति प्रबंधक सोहराब अंसारी के साथ धान खरीदी प्रभारी साधना कुशवाहा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, आरोप है कि दोनों की कथित मिलीभगत से ओड़गी ब्लॉक के किसानों का रकबा शिवप्रसादनगर समिति के पंजीकृत किसानों के नाम पर जोड़ा गया और वास्तविक रकबे से अधिक पंजीयन कराकर धान खरीदी की गई, यह आरोप गंभीर है और इसकी पुष्टि के लिए दोनों खरीदी वर्षों के किसानवार रिकॉर्ड का मिलान आवश्यक है, एक साल की गलती को चूक कहा जा सकता है, लेकिन दो साल लगातार एक जैसे आरोप सामने आए तो उसे केवल संयोग मानकर छोड़ देना भी जांच से बचने का रास्ता हो सकता है।

पंजीयन के समय दस्तावेजों की जांच हुई? क्या समिति ने राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया? क्या संबंधित अधिकारी ने सत्यापन किया? यदि किया तो कथित रूप से अधिक रकबा दर्ज कैसे हो गया? और यदि सत्यापन नहीं किया गया तो फिर इतने बड़े पैमाने पर धान खरीदी किस आधार पर हुई? 67.33 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा—कागजों में खेत का विस्तार? वर्ष 2024-25 से जुड़े उपलब्ध विवरण में 23 किसानों के नाम पर वास्तविक और पंजीकृत रकबे के बीच बड़ा अंतर बताया गया है।

आंकड़ों के अनुसार—यानी जहां वास्तविक रकबा 20.94 हेक्टेयर बताया जा रहा है, वहीं पंजीयन में यह आंकड़ा 88.27 हेक्टेयर तक पहुंचने का दावा है, यह व्यत्यासक सवाल उठना स्वाभाविक है खेत की मेड़ जमीन पर नहीं बढ़ी, लेकिन कागज पर 67.33 हेक्टेयर कैसे बढ़ गई? और अगर कागज पर रकबा बढ़ा तो उसके साथ 4728.80 क्विंटल धान भी कैसे जुड़ गया? यही वह बिंदु है जहां मामला साधारण पंजीयन त्रुटि से आगे बढ़कर गंभीर जांच की मांग करता है।

0.36 हेक्टेयर जमीन और 441.20 क्विंटल धान... रिकॉर्ड क्या कहता है?— उपलब्ध तालिका में कई ऐसे उदाहरण बताए गए हैं जहां वास्तविक रकबा बेहद कम है लेकिन पंजीयन और धान बिक्री काफी अधिक दिखाई गई है, मसलन विजय कुमार के नाम 0.36 हेक्टेयर वास्तविक रकबे के मुकाबले 4.66 हेक्टेयर पंजीयन और 441.20 क्विंटल धान बिक्री का विवरण दिया गया है, संताबाई के मामले में 0.45 हेक्टेयर वास्तविक रकबे के मुकाबले 6.76 हेक्टेयर पंजीयन और 366.40 क्विंटल धान बिक्री बताई गई है, शिवनाथ के नाम 0.54 हेक्टेयर वास्तविक रकबे के मुकाबले 5.95 हेक्टेयर पंजीयन और 419.60 क्विंटल धान बिक्री का दावा है, वहीं रामसाय के नाम 0.84 हेक्टेयर वास्तविक रकबे के मुकाबले 4.36 हेक्टेयर पंजीयन और 404.40 क्विंटल धान बिक्री बताई गई है

है, इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। लेकिन यदि रिकॉर्ड में यही स्थिति है तो जांच का सवाल बेहद गंभीर हो जाता है।

आखिर अतिरिक्त रकबा आया कहाँ से?— यही पूरे मामले का मूल प्रश्न है, किसान के पास यदि 0.36 हेक्टेयर जमीन है तो उसके नाम 4.66 हेक्टेयर का पंजीयन किस आधार पर हुआ? यदि 0.45 हेक्टेयर जमीन है तो 6.76 हेक्टेयर कैसे दर्ज हुआ? हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा किसी दूसरे किसान की जमीन से आया? क्या ओड़गी ब्लॉक के किसी किसान का रकबा शिवप्रसादनगर समिति के किसान के नाम जोड़ दिया गया? क्या अनिलदास पंजीयन में किसी स्तर पर संशोधन किया गया? क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी के लॉगिन से रकबा बदला गया? इन सवालों का जवाब किसानवार पंजीयन रिकॉर्ड और पोर्टल के डिजिटल लॉग से मिल सकता है।

धान खरीदी का सबसे बड़ा सवाल... फसल आई कहाँ से?— धान खरीदी का रिकॉर्ड केवल रकबे से नहीं जुड़ा होता। फसल का वास्तविक उत्पादन भी जांच का हिस्सा होना चाहिए, यदि 67.33 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा दर्ज किया गया और उसके आधार पर 4728.80 क्विंटल धान खरीदा गया तो जांच में यह भी देखा होगा कि क्या वह धान वास्तव में उन्हीं किसानों की जमीन पर पैदा हुआ था? यदि हाँ, तो खेत कहाँ है? यदि नहीं, तो धान किस खेत से आया? क्या दूसरे किसानों के फसल किसी अन्य किसान के नाम पर बेची गई? क्या भुगतान उन्हीं खातों में गया जिनके दिया गया है, संताबाई के मामले में 0.45 हेक्टेयर वास्तविक रकबे के मुकाबले 6.76 हेक्टेयर पंजीयन और 366.40 क्विंटल धान बिक्री का दावा है, यह व्यत्यासक सवाल उठना स्वाभाविक है खेत की मेड़ जमीन पर नहीं बढ़ी, लेकिन कागज पर 67.33 हेक्टेयर कैसे बढ़ गई? और अगर कागज पर रकबा बढ़ा तो उसके साथ 4728.80 क्विंटल धान भी कैसे जुड़ गया? यही वह बिंदु है जहां मामला साधारण पंजीयन त्रुटि से आगे बढ़कर गंभीर जांच की मांग करता है।

जमीन हस्तांतरण का दूसरा अस्पाय— इस मामले से जुड़ी शिकायतों में ग्राम सोनपुर, तहसील भैयाधान की लगभग 3.13 हेक्टेयर यानी 7.7 एकड़ कृषि भूमि का मामला भी उठया गया है, बताया गया है कि यह जमीन पूर्व में जरीफुल्ला के नाम दर्ज थी और बाद में हदीस मोहम्मद,



रिजवान अंसारी और साधना कुशवाहा के नाम दर्ज होने की बात सामने आई, यदि यह राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित होता है तो जमीन हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया की जांच आवश्यक होगी, विशेष रूप से यह देखा जाना चाहिए कि जमीन के हस्तांतरण के समय उस पर कोई ऋण या बंधक था अथवा नहीं।

तीन बैंकों के ऋण का सवाल— शिकायत में संबंधित भूमि पर ऋण बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से ऋण होने का उल्लेख किया गया है, यदि भूमि पर ऋण लंबित था तो सवाल उठता है कि रजिस्ट्री से पहले संबंधित बैंक की एनओसी ली गई थी या नहीं, यदि एनओसी ली गई थी तो उसका रिकॉर्ड क्या है? यदि ऋण चुका दिया गया था तो भुगतान का प्रमाण क्या है? यदि बंधक हटाया गया था तो राजस्व रिकॉर्ड में उसका उल्लेख कब हुआ? इन सवालों की जांच के बिना भूमि हस्तांतरण की पूरी कहानी अधूरी रहेगी।

पहले भी खबरें प्रकाशित हुईं, फिर कार्रवाई कहाँ है?— इस मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि शिवप्रसादनगर समिति से जुड़े आरोपों को लेकर पहले भी कई बार समाचार प्रकाशित हो चुके हैं, रकबे के आंकड़े सामने आए, धान खरीदी पर सवाल उठे, जमीन हस्तांतरण का मुद्दा उठा, बैंक ऋण की स्थिति पर सवाल उठे, फिर भी यदि अब तक कोई निर्णायक प्रशासनिक कार्रवाई सामने नहीं आई है तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है, यदि खबरों में लगाए गए आरोप गलत हैं तो प्रशासन को रिकॉर्ड के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, यदि आरोप गंभीर हैं तो जांच होनी चाहिए, लेकिन न खबर को मानना, न आरोप को खारिज करना और न जांच का स्पष्ट परिणाम बताना—यह तीसरी स्थिति जनता के संदेह को और मजबूत करती है, व्यंग्य में कहें तो शायद फाइल भी सोच रही होगी... पहले धान का मौसम खत्म हो जाए, फिर मेरी जांच होगी।



क्या प्रशासन ने आँखें मूंद लीं?

किसी खबर में आरोप प्रकाशित होना अपने आप में दोष सिद्ध नहीं करता, लेकिन जब मामला सरकारी धान खरीदी, किसानों के रकबे और हजारों क्विंटल धान से जुड़ा हो तो प्रशासन का दायित्व है कि वह तथ्य जांचे, यदि 2023-24 और 2024-25 दोनों वर्षों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं तो दोनों को सामने रखकर तुलना करना, मुश्किल काम नहीं है, किसान का वास्तविक रकबा, पंजीकृत रकबा, धान खरीदी, भुगतान, इन चार आंकड़ों का मिलान कर दिया जाए तो पूरा मामला काफी हद तक स्पष्ट हो सकता है।

क्या दो वर्षों में एक ही पैटर्न दोहराया गया?

यही सबसे महत्वपूर्ण जांच बिंदु है, यदि 2023-24 में अधिक रकबा दर्ज हुआ और उसी आधार पर अधिक धान खरीदा गया, फिर 2024-25 में भी वही तरीका अपनाया गया, तो जांच को यह देखना होगा कि क्या दोनों वर्षों में एक ही किसान, एक ही जमीन, एक ही लॉगिन, एक ही प्रक्रिया या एक ही स्तर के अधिकारी/कर्मचारी जुड़े हुए थे, यदि ऐसा पैटर्न सामने आता है तो मामला और गंभीर हो सकता है।

अब जांच केवल समिति की नहीं, पूरे सिस्टम की होनी चाहिए..

इस मामले में केवल समिति प्रबंधक या खरीदी प्रभारी की भूमिका देखना पर्याप्त नहीं होगा, जांच में यह भी देखा जाना चाहिए कि किसान पंजीयन किसने किया? रकबा किसने सत्यापित किया? संशोधन किसने किया? किस अधिकारी ने पंजीयन अनुमोदित किया? धान खरीदी किस आधार पर स्वीकार की गई? खरीदी के बाद भुगतान किस खाते में गया? क्या किसी दूसरे किसान का रकबा किसी अन्य किसान के नाम दर्ज हुआ? क्या दोनों खरीदी वर्षों में समान पैटर्न दिखाई देता है? यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारी उसी स्तर पर तय होनी चाहिए।

धान का हिसाब होगा या फाइल फिर सो जाएगी?

शिवप्रसादनगर समिति का यह मामला अब सिर्फ यह सवाल नहीं रह गया है कि किस किसान ने कितना धान बिका, अब सवाल यह है कि किसान के पास जमीन कितनी थी? पंजीयन में जमीन कितनी दिखाई गई? उस अतिरिक्त रकबे पर धान कितना खरीदा गया? उसकी रकम कैसे मिली? और सबसे अहम—दो खरीदी वर्षों में कथित रूप से एक जैसी प्रक्रिया कैसे दोहराई गई? यदि वर्ष 2023-24 में सोहराब अंसारी की भूमिका पर आरोप हैं और वर्ष 2024-25 में सोहराब अंसारी के साथ साधना कुशवाहा की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, तो दोनों वर्षों की पूरी फाइल सामने रखकर जांच करना ही सबसे उचित रास्ता होगा, क्योंकि खेत में जितनी जमीन है, उससे ज्यादा जमीन कागज पर उग आए और फिर उसी कागजी जमीन से हजारों क्विंटल धान भी पैदा हो जाए—तो इसे खेती का चमत्कार कहें या रिकॉर्ड का खेल, यह जांच के बाद ही तय होगा, लेकिन एक बात तय है कि जब 23 किसानों के नाम, 67.33 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा और 4728.80 क्विंटल धान का आंकड़ा सामने हो, तब फाइल बंद करने से सवाल बंद नहीं होंगे, अब प्रशासन को तय करना है कि वह इस मामले का वास्तविक हिसाब करेगा या फिर खबरें प्रकाशित होती रहेंगी, शिकायतें जाती रहेंगी और फाइल किसी सरकारी अलमारी में बैठकर अमली धान खरीदी का इंतजार करती रहेगी।

बारिश आई, व्यवस्था बह गई!

सूरजपुर में सड़क बनी नदी, अस्पताल बना तालाब और नालियां बनीं कचरे का घर

- नेशनल हाईवे पर जलभराव, आवागमन प्रभावित
- नालियों में कचरा जाम, पानी निकासी ठप
- पुराना अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील
- हर साल बारिश में खुलती है व्यवस्थाओं की पोल
- वोट के बाद बेपरवाह जिम्मेदार?

व्यवस्था की खुली पोल

पुराना अस्पताल बना तालाब

नालियां बनीं कचरे का घर

सड़क बनी नदी

हर साल वही कहानी... बारिश में बेहाल शहर, जिम्मेदारों को नहीं कोई चिंता!

हर साल बारिश से पहले सफाई के दावे... बारिश आते ही जलभराव की वही पुरानी कहानी, जनता पूछ रही-आखिर पानी निकलेगा कब?

सूरजपुर में बारिश का 'विकास मॉडल'... सड़क पर नदी... अस्पताल में तालाब और नालियों में कचरा

नाली बनी, सफाई भूली, बारिश आई तो सूरजपुर की सड़कें बन गईं जलमार्ग

बारिश ने उठारा विकास का मुखौटा, सूरजपुर में सड़क पर पानी और व्यवस्था बेपानी

सूरजपुर में मानसून की मार, नालियां जाम, सड़कें जलमग्न, जनता परेशान

कामगज पर नालियां, सड़क पर दरिया, बारिश में बेनकाब हुई सूरजपुर की व्यवस्था

बारिश आई और व्यवस्था बह गई! सूरजपुर में सड़क बनी नदी, निकासी व्यवस्था हुई फेल

'वोट तो और मूल जाओ' ले आगे बढ़ा सूरजपुर, बारिश में जनता दूढ़ रही सूखी सड़क

-आंकर पाण्डेय-

सूरजपुर, 03 सितम्बर 2026

(घटती-घटना)।

सूरजपुर शहर में बारिश कोई नई मेहमान नहीं है, लेकिन हर साल बारिश आते ही शहर की व्यवस्था जिस तरह घुटनों के बल बैठ जाती है, वह जरूर नई कहानी बन जाती है, कुछ दिनों से

नाली बनी है, मगर पानी जाना मना है!-

सूरजपुर में जल निकासी के लिए सड़क किनारे नालियां बनाई गई हैं, कामगज पर यह व्यवस्था शायद पूरी तरह दुरुस्त होगी, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और है, कई स्थानों पर नालियों में कचरा जमा है, कहीं नालियां अवरुद्ध हैं तो कहीं पानी के बहाव का रास्ता ही बंद नजर आता है, अब सवाल यह है कि जब नाली में पानी ही नहीं जाएगा तो नाली आखिर किस काम की? शायद नगर की व्यवस्था का नया फार्मूला यही है-नाली बनाओ, उसकी सफाई भूल जाओ और बारिश होने पर सड़क को नाला घोषित कर दो, हर साल बारिश से पहले नालियों की सफाई की जरूरत होती है, लेकिन यदि सफाई समय पर नहीं होगी तो बारिश का पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, इस बार भी पानी ने रास्ता चुन लिया है और वह रास्ता सड़कों से होकर गुजर रहा है।

नेशनल हाईवे या 'सूरजपुर जलमार्ग' ?-

शहर के नेशनल हाईवे की तस्वीरें व्यवस्था की कहानी खुद बयान कर रही हैं, सड़क पर इतना पानी जमा है कि दोपहिया वाहन चालक संभलकर निकलने को मजबूर हैं, भारी वाहनों के गुजरने पर सड़क पर जमा पानी चारों तरफ फैलता है, विडंबना यह है कि जिस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, उसी मार्ग पर जलभराव लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, व्यंग्य में कहें तो सूरजपुर में बारिश के मौसम में नेशनल हाईवे का एक नया विभागीय उन्नयन हो जाता है- 'नेशनल हाईवे से नेशनल वाटरवे', बस अंतर इतना है कि इस जलमार्ग पर नाव नहीं चलती, बल्कि बाइक, कार और ट्रक अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार तैरते हुए नजर आते हैं।

हो रही बारिश ने एक बार फिर नगर की बुनियादी व्यवस्थाओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया है, कहीं सड़क पर पानी का समंदर है तो कहीं पुराना अस्पताल तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे पर हालात ऐसे कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो जाए, तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बारिश ने शहर को नहीं, बल्कि शहर की व्यवस्था को धो दिया है, फर्क सिर्फ इतना है कि बारिश के पानी के साथ कचरा और गंदगी भी बहनी चाहिए थी, लेकिन नालियां पहले ही जाम हैं, इसलिए पानी ने सड़क को ही अपना स्थायी ठिकाना बना लिया।

पुराना अस्पताल बना 'मानसून तालाब'-शहर का पुराना अस्पताल क्षेत्र भी बारिश में जलभराव की समस्या से अछूता नहीं है, अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान के आसपास पानी का जमा होना अपने आप में गंभीर सवाल है, अस्पताल वह जगह है जहां स्वस्थ व्यक्ति नहीं, बल्कि इलाज और मदद की जरूरत वाले लोग पहुंचते हैं, ऐसे में यदि वह पहुंचने के रास्ते में ही पानी जमा हो जाए तो व्यवस्था की प्राथमिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है, शहर में तालाबों की कमी हो तो पुराना अस्पताल परिसर काम आ सकता है-

कम से कम बारिश के मौसम में तस्वीर तो यही बता रही है।

कचरा नाली में... पानी सड़क पर और जिम्मेदारी हवा में-जलभराव की समस्या को केवल बारिश के माथे मढ़ देना आसान है, लेकिन सवाल यह है कि बारिश का पानी आखिर निकलेगा कहाँ? यदि नालियां साफ हों, जल निकासी के मार्ग खुले हों और पानी के प्राकृतिक बहाव में बाधा न हो तो सामान्य बारिश के बाद सड़कों पर लंबे समय तक पानी जमा रहने की स्थिति नहीं बननी चाहिए, लेकिन यहां तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। नालियों में कचरा जमा है, पानी के रास्ते अवरुद्ध हैं और बारिश होते ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, फिर शुरू होता है वही पुराना खेल-जनता शिकावत करती है, अधिकारी निरीक्षण करते हैं, तस्वीरें खिंचती हैं और पानी अपने आप उतर जाता है, अगरही बारिश तक समस्या फिर जस की तस।

चुनाव खतम, अब जनता किस दरवाजे पर जाए? - नगरीय निकाय चुनाव अभी हुए हैं, चुनाव के दौरान शहर की समस्याएं, विकास और नागरिक सुविधाएं हमेशा चर्चा के केंद्र में रहती हैं, जनता भी उम्मीद करती है कि चुनाव के बाद सड़क, नाली, सफाई और जल निकासी जैसी मूलभूत समस्याओं पर तेजी से काम होगा, लेकिन बारिश ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, सूरजपुर नगर पालिका में कांग्रेस पर सत्ता है, क्षेत्रीय विधायक भाजपा के हैं और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, ऐसे में राजनीतिक जिम्मेदारी तय करने से ज्यादा जरूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करना है, जनता के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी कांग्रेस की सीमा से आया है या भाजपा की सीमा से, जनता को

बस पानी सड़क से हटता हुआ चाहिए, लेकिन स्थिति देखकर लगता है कि जिम्मेदारी भी शायद उसी पानी की तरह है-एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर बहती रहती है।

'वोट लो और फिर मजे करो' वाली व्यवस्था? - शहर के लोगों के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि चुनाव के समय जिस जनता की समस्या सबसे महत्वपूर्ण होती है, चुनाव के बाद वही समस्या प्राथमिकता सूची में नीचे क्यों चली जाती है? सड़क पर पानी भरा हो, नालियां जाम हों, कचरा जमा हो और लोगों को आवागमन में परेशानी हो-तो यह केवल बारिश की समस्या नहीं है। यह नगर प्रबंधन की तैयारी और नियमित निगरानी का भी सवाल है, अगर हर साल बारिश के बाद यही स्थिति बनती है तो फिर हर साल बारिश को दोष देना कुछ वैसा ही है जैसे परीक्षा में फेल होने के बाद किताब को दोष देना, बारिश तो अपना काम करेगी ही, सवाल यह है कि नगर व्यवस्था अपना काम कब करेगी?

सूरजपुर में विकास की असली परीक्षा बारिश ले रही है- किसी शहर के विकास का आकलन बड़े भवनों, रंग-रोगन, स्ट्रीट लाइट और सजावटी कार्यों से ही नहीं होता, असली परीक्षा तब होती है जब तेज बारिश होती है, बारिश के दौरान पानी कितनी जल्दी निकलता है? नालियां कितनी साफ हैं? मुख्य सड़कों पर जलभराव कितना होता है? आम नागरिक कितनी आसानी से आवागमन कर सकता है? जिम्मेदारी के जवाब ही शहर की वास्तविक व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, और फिलहाल सूरजपुर की तस्वीरें इस रिपोर्ट कार्ड पर बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं।

सफाई और नाली व्यवस्था की हो नियमित निगरानी- शहर में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए केवल बारिश के समय पंप लगाने या पानी निकालने से काम नहीं चलेगा, नालियों की नियमित सफाई, अवैध अवरोधों को हटाना, कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई, जल निकासी के प्रमुख बिंदुओं की पहचान और बारिश से पहले व्यापक सफाई जरूरी है, साथ ही यह भी देखा होगा कि जिन नालियों का निर्माण हुआ है, उनका पानी वास्तव में कहाँ जा रहा है और क्या उनकी क्षमता शहर की मौजूदा आबादी एवं निर्माण के अनुरूप है, क्योंकि यदि नाली में पानी नहीं जा रहा और सड़क पर पानी ही पानी है, तो फिर सवाल केवल बारिश का नहीं-योजना, निर्माण, सफाई और निगरानी चारों का है।

अब तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं... - सूरजपुर की बारिश ने कोई नई समस्या पैदा नहीं की है। उसने सिर्फ पुरानी समस्या को कैमरे के सामने ला दिया है, सड़क पर जमा पानी, बंद नालियां, कचरे से भरे निकासी मार्ग और जलमग्न सार्वजनिक स्थल शहर की उस व्यवस्था का आईना हैं, जिसकी चर्चा चुनावों में विकास के नाम पर होती है, अब जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी इन तस्वीरों को केवल सोशल मीडिया की तस्वीर न मानें, बल्कि व्यवस्था की जांच रिपोर्ट मानकर देखें, क्योंकि जनता को हर मानसून में यह तय करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वह सड़क से जा रही है, नाले से या नदी से, सूरजपुर को शहर हो रहने दीजिए साहब... हर बारिश में उसे तालाब और नदी बनाने की जरूरत नहीं है।

ई-ऑफिस में स्वास्थ्य विभाग का जलवा... जुलाई में नस्तियों के निस्तारण में मिला पहला स्थान

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया प्रशंसा-पत्र... स्वास्थ्य मंत्री ने सचिव अमित कटारिया समेत पूरी टीम को दी बधाई...

-न्यूज डेस्क-

रायपुर, 03 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

सरकारी कामकाज में फाइलों की रफ्तार अक्सर चर्चाओं में रहती है, किसी फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह सवाल आमतौर पर व्यवस्था की कार्यप्रणाली से जुड़ा माना जाता है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ई-ऑफिस प्रणाली के जरिए नस्तियों के निस्तारण में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जुलाई 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया है।

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर से 31 अगस्त 2026 को जारी प्रशंसा-पत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जुलाई 2026 की अवधि में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्तियों के निस्तारण में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया है, प्रशंसा-पत्र पर मुख्य सचिव विकास शील के हस्ताक्षर हैं, शासन की ओर से जारी इस प्रमाण-पत्र को विभाग के लिए प्रशासनिक कार्यप्रणाली और डिजिटल फाइल निस्तारण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

फाइलें अब टेबल पर नहीं, ई-ऑफिस में दौड़ रही...

सरकारी दफ्तरों में फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने की शिकायतें कोई नई बात नहीं हैं, कई बार एक फाइल के आगे बढ़ने के लिए कई स्तरों से गुजरना पड़ता है, ऐसे में ई-ऑफिस व्यवस्था को सरकारी कामकाज में गति,

स्वास्थ्य मंत्री ने दी पूरी टीम को बधाई...

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी, उन्होंने ई-ऑफिस के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया सहित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की, मंत्री ने अपने संदेश में विभागीय टीम को इसी तरह निष्ठा और समर्पण के साथ उत्कृष्ट कार्य करते हुए स्वास्थ्य विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की शुभकामनाएं दीं।

डिजिटल व्यवस्था से बढ़ सकती है जवाबदेही...

ई-ऑफिस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह माना जाता है कि फाइलों की आवाजाही डिजिटल माध्यम से दर्ज होती है, इससे यह पता लगाना अपेक्षाकृत आसान होता है कि कोई नस्ती किस स्तर पर है और उसके निस्तारण में कितना समय लगा, स्वास्थ्य विभाग का जुलाई में प्रथम स्थान प्राप्त करना यह संकेत देता है कि डिजिटल फाइल प्रणाली के इस्तेमाल में विभाग ने प्रभावी प्रदर्शन किया है, हालांकि वास्तविक प्रशासनिक सुधार का आकलन केवल निस्तारित नस्तियों की संख्या से नहीं, बल्कि निर्णयों की गुणवत्ता, समयबद्धता और आम लोगों को मिलने वाले परिणामों से भी होना चाहिए, यानी ई-ऑफिस में फाइल तेज दौड़े, यह अच्छी बात है, लेकिन उस फाइल से निकला आदेश जमीन पर कितनी तेजी से पहुंचता है, असली परीक्षा वहां होगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जुलाई 2026 के दौरान इसी डिजिटल प्रणाली के जरिए नस्तियों के निस्तारण में बेहतर प्रदर्शन किया, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रशंसा-पत्र में विभाग को अन्य विभागों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर प्रथम स्थान दिए जाने की पुष्टि की गई है, यह

उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का काम सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है, अस्पताल, चिकित्सकीय सेवाएं, दवाइयां, स्वास्थ्य योजनाएं, मानव संसाधन और विभागीय प्रशासन से जुड़े अनेक निर्णय लगातार प्रक्रिया में रहते हैं, ऐसे में फाइलों का समय पर निस्तारण प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ई-ऑफिस में स्वास्थ्य विभाग का जलवा, जुलाई में नस्तियों के निस्तारण में मिला पहला स्थान

छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया प्रशंसा-पत्र, स्वास्थ्य मंत्री ने सचिव अमित कटारिया समेत पूरी टीम को दी बधाई



श्रास्त्र मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सचिव अमित कटारिया जी सहित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी तथा भविष्य में और बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं दीं।

नस्तियों का तेज़ निस्तारण विभाग की बड़ी उपलब्धि

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा डिजिटल सिस्टम बना साहयक

टीम वर्क का नतीजा मिला प्रथम स्थान स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कामगारी

प्रशंसा के साथ अब चुनौती भी बड़ी

कई प्रशासनिक निर्णयों को गति दे सकता है, यही वजह है कि ई-ऑफिस में मिली यह उपलब्धि महज एक रैंकिंग नहीं, बल्कि विभागीय कामकाज को डिजिटल और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत के रूप में

देखी जा रही है, अब देखा होगा कि जुलाई की यह 'प्रथम रैंक' आगे भी बरकरार रहती है या फिर दूसरे विभाग ई-ऑफिस की इस दौड़ में स्वास्थ्य विभाग को पीछे छोड़ने के लिए अपनी फाइलों को और तेज दौड़ाते हैं।

खंडन नहीं, जवाब चाहिए!

50 खबरों के बाद भी क्यों अनुत्तरित हैं सवाल?

13 नमूना सहायकों की पदोन्नति पर विभाग से सीधे सवाल!

जिस प्रतिष्ठित अखबार के लिए खंडन छापने का दबाव बनाया जा रहा था, उसे दैनिक घटती घटना के सवालों का जवाब देना चाहिए!



दैनिक घटती घटना ने उठाए ये सवाल

- ❓ डिग्री थी तो नमूना सहायक क्यों बने?
- ❓ 10% से 25% पदोन्नति कोटा
- ❓ 3 महीने पहले ही क्यों बढ़ा दिया गया?
- ❓ सीधी भर्ती से पहले पदोन्नति क्यों?
- ❓ डीपीसी ने किन आधारों पर की जांच?
- ❓ क्या विभागीय परीक्षा हुई या सिर्फ कागजी जांच?
- ❓ हस्ताक्षर किसके? प्राधिकरण आदेश कहाँ है?
- ❓ डीपीसी के विवादित सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल?

पदोन्नत 13 नमूना सहायकों की सूची (विभागीय विज्ञप्ति के अनुसार)

क्र.	नाम	शैक्षणिक योग्यता
1	कृ. अंजली नायक	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)
2	कु. सुमन अग्रवाल	एम.एस.सी. (बायोटेक्नोलॉजी)
3	निधि जारसवाल	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)
4	सुमन ठाकुर	एम.एस.सी. (बायोटेक्नोलॉजी)
5	सुश्री दीपा साहू	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)
6	सुश्री दिव्या सिंह राजपूत	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)
7	डॉ. अर्चना तिवारी	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)

नोट : विभाग के अनुसार इन सभी की शैक्षणिक योग्यता, सेवा अवधि एवं दस्तावेजों की जांच के बाद डीपीसी ने पदोन्नति की अनुशंसा की।

क्र.	नाम	शैक्षणिक योग्यता
8	सुश्री निधि यादव	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)
9	श्री दुलेश्वर सिंह	एम.एस.सी. (माइक्रोबायोलॉजी)
10	श्री प्रमोद कुमार पैकरा	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)
11	श्री कृष्ण प्रताप सिंह	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)
12	सुश्री रश्मि मरावी	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)
13	सुश्री अरुणमणी कंवर	बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी)

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़
ब्लॉक-1, पुरानी बस्ती, दत्तवासी पवन, नवा रायपुर, पिन कोड-492002.
दूरभाष क्र. 0771-2235226, ई-मेल आई.डी. controllerrairpur@gmail.com

क्रमांक /सवा. /2026 /1747

नवा रायपुर, दिनांक 20/08/2026

पति :

सम्पादक
दैनिक समाचार पत्र -
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय -
दैनिक समाचार पत्र " " में प्रकाशित समाचार - "प्रमोशन पोलिसी पर उठे गंभीर सवाल - 12वीं घंटे 13 सहायकों को बना दिया फूड सेफ्टी ऑफिसर" का खंडन।

उपरोक्त विध्वानर्गत लेख है कि दिनांक 20.08.2026 को दैनिक समाचार पत्र पत्रिका में समाचार - "प्रमोशन पोलिसी पर उठे गंभीर सवाल - 12वीं घंटे 13 सहायकों को बना दिया फूड सेफ्टी ऑफिसर" प्रकाशित किया गया है। यह पूर्णतः असत्य, अमूर्त एवं झूठों के मगमर्द विना विना प्रकाशित किया गया समाचार है। इस विषय में खाद्य एवं औषधि, छत्तीसगढ़ की ओर से विभागीय एवं वैधानिक तथ्यों के साथ खंडन निम्नानुसार है -

विज्ञप्ति जारी

लगभग 50 खबरों के बाद भी विभाग मौन क्यों?

पहले नमूना सहायक, अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी... डिग्री तब भी थी साहब!

13 डिग्रीधारियों का 'नमूना' से 'सुरक्षा अधिकारी' तक सफर, बीच में बदला प्रमोशन का गणित

13 नमूना सहायकों का प्रमोशन मामले में खंडन आया, लेकिन सवाल और बढ़ गए, डिग्री पहले से थी तो एफएसओ की सीधी भर्ती क्यों नहीं? 25% कोटा बढ़ाने की टाइमिंग भी घेरे में...

‘12 वीं पास’ खबर के खंडन में 13 डिग्रीधारी सामने आए, अब विभाग से बड़ा सवाल...पहले नमूना सहायक क्यों?

10 से 25% हुआ प्रमोशन कोटा, फिर 13 नमूना सहायकों की राह हुई आसान? नियम संशोधन की टाइमिंग से लेकर डीपीसी की भूमिका तक कई सवाल अनुत्तरित

प्रमोशन नियमसम्मत तो पूरी फाइल सार्वजनिक करने में हिवक क्यों? 13 नमूना सहायकों की योग्यता, 25% कोटा और डीपीसी की कार्यवाही पर पारदर्शिता की मांग

-न्यूज डेस्क-

रायपुर, 03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में 13 नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाए जाने का मामला अब एक खबर और उसके खंडन के बीच का विवाद भर नहीं रह गया है, विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति ने भले ही एक प्रतिष्ठित अखबार के एक प्रकाशित खबर को 'असत्य, निराधार एवं काल्पनिक' बताया हो, लेकिन जिस तरह खंडन में कुछ बिंदुओं का जवाब दिया गया और कई मूल सवालों पर चुप्पी बनी रही, उससे विवाद और गहरा गया है। 20 अगस्त 2026 को नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ की ओर से जारी चार पेज की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 13 नमूना सहायकों की पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, सेवा अवधि और दस्तावेजों की जांच के बाद की गई है, विज्ञप्ति में 13 पदोन्नत कर्मचारियों के नाम और उनकी शैक्षणिक योग्यताएं भी दर्ज हैं, विभाग का यह स्पष्टीकरण निश्चित रूप से रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन क्या इससे पूरा विवाद समाप्त हो जाता है? शायद नहीं, क्योंकि अब सवाल केवल यह नहीं है कि इन 13 कर्मचारियों के पास कौन-कौन सी डिग्री है, असली सवाल यह है कि इन डिग्रीयों और उनकी मूल नियुक्ति, पदोन्नति के नियम, 25 प्रतिशत कोटा तथा विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया के बीच संबंध क्या है?

12वीं पास की खबर का खंडन, लेकिन मूल सवाल जस के तस-एक प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित खबर के बाद विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि 13 नमूना सहायकों को बिना योग्यता के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं बनाया गया है, विभाग ने पेज तीन पर सभी 13 कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता का विवरण देते हुए बताया है कि संबंधित कर्मचारियों की योग्यता का परीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति ने किया था, विभाग के दस्तावेज में सूचीबद्ध योग्यताओं में एमएससी रसायन शास्त्र, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री और अन्य संबंधित योग्यताएं शामिल हैं, एक कर्मचारी की योग्यता बोटिक कृषि अभियांत्रिकी भी बताई गई है, यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर ये कर्मचारी इतनी उच्च शैक्षणिक योग्यता रखते थे, तो ये नमूना सहायक बने क्यों? क्या उनकी नियुक्ति के समय यही योग्यताएं उनके पास थीं? अगर थीं, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधे भर्ती क्यों नहीं किया गया? अगर उस समय वे खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए पात्र नहीं थे, तो बाद में पात्रता कैसे और किस नियम

के तहत बनी? और अगर उनकी डिग्री उस समय भी मान्य थी, तो क्या उन युवाओं और अभ्यर्थियों के अवसर पर कोई असर नहीं पड़ा जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने के लिए निर्धारित भर्ती प्रक्रिया या प्रतियोगी परीक्षा का रास्ता चुना? इन सवालों का जवाब केवल वर्तमान शैक्षणिक योग्यता की सूची दिखाने से नहीं मिलता।

FSSAI के नियम में उच्च शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान-यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आता है, FSSAI के खाद्य सुरक्षा एवं नायक नियमों के नियम 2.1.3 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए विभिन्न संबंधित विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट स्तर की योग्यताओं का प्रावधान है, इनमें फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मेडिसिन आदि शामिल हैं। साथ ही निर्धारित प्रशिक्षण की शर्त भी है, 2025 में FSSAI ने कुछ चिकित्सा पाठ्यक्रमों को भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए मान्यता प्राप्त विषयों में जोड़ा था, इसलिए विवाद का केंद्र केवल यह नहीं होना चाहिए कि डिग्री है या नहीं? असली जांच यह होनी चाहिए कि किस कर्मचारी की कौन-सी डिग्री, किस तरीख को प्राप्त हुई, उस समय लागू नियम क्या था और उस योग्यता के आधार पर उसको पदोन्नति किस वैधानिक प्रक्रिया से हुई।

25% कोटा...सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यहीं से जुड़ती है-विभाग की प्रेस विज्ञप्ति स्वयं स्वीकार करती है कि भर्ती नियम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर 75 प्रतिशत सीधी भर्ती और 25 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान है, विज्ञप्ति के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने 6 मई 2026 के राजपत्र के माध्यम से संबंधित भर्ती नियम में संशोधन करते हुए विभागीय पदोन्नति का प्रतिशत 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया, यही संशोधन पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है, क्यों? क्योंकि सवाल यह नहीं है कि सरकार को भर्ती नियम बदलने का अधिकार है या नहीं, सरकार को नियम बदलने का अधिकार है, सवाल है की 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने की जरूरत कब महसूस हुई? इसका प्रस्ताव कब तैयार हुआ? फाइल किस तारीख को चली? किस अधिकारी ने प्रस्ताव रखा? क्या यह संशोधन पहले से लंबित था? यदि पहले से लंबित था तो कितने समय से? और सबसे महत्वपूर्ण है की क्या इस संशोधन का सीधा संबंध उन 13 नमूना सहायकों की पदोन्नति से था? इन सवालों का जवाब फाइल नोटिंग, प्रस्ताव, अनुमोदन और राजपत्र की प्रक्रिया से ही स्पष्ट हो सकता है।

तीन महीने पहले नियम बदला, फिर पदोन्नति संयोग या प्रशासनिक आवश्यकता?-यदि 6 मई 2026 को पदोन्नति का कोटा 10 से 25 प्रतिशत किया गया और इसके बाद 13 नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत किया गया, तो घटनाक्रम की टाइमलाइन सार्वजनिक होना चाहिए, पहले प्रस्ताव बना या पदोन्नति की जरूरत सामने आई? पहले पद रिक्तियों की गणना हुई या कोटा बढ़ाया गया? पहले डीपीसी की तैयारी हुई या नियम संशोधन हुआ? क्या 25 प्रतिशत कोटा सामान्य मानव संसाधन आवश्यकता को देखते हुए बढ़ाया गया या तत्कालीन पदोन्नति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर? इन सवालों का उत्तर मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि नियम में संशोधन और उसके बाद हुई पदोन्नति को अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय उनकी प्रशासनिक टाइमलाइन देखना आवश्यक है, विभाग यदि यह कहता है कि संशोधन पहले से प्रस्तावित था तो प्रस्ताव की पुरानी तारीख सामने रखी जा सकती है, यदि ऐसा नहीं है, तो सवाल और गंभीर हो जाता है।

भर्ती और पदोन्नति दोनों रास्ते हैं, लेकिन

प्राथमिकता किसे?-विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में साफ लिखा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर 75 प्रतिशत सीधी भर्ती और 25 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान है, तो फिर यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उस समय कुल कितने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत थे और कितने रिक्त थे, कितने पद सीधी भर्ती के लिए निर्धारित थे? कितने पद पदोन्नति के लिए? क्या सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी? क्या पदोन्नति पहले कर दी गई? अगर पदोन्नति पहले हुई तो उसका प्रशासनिक कारण क्या था? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पदोन्नति का रास्ता नियम में होना अलग बात है और उस रास्ते को किस समय इस्तेमाल किया गया, यह अलग प्रशासनिक प्रश्न है।

‘10 साल का अनुभव’ भी बना जांच का विषय-विभाग ने अपने खंडन में एक और महत्वपूर्ण बात कही है, उसके अनुसार शैक्षणिक योग्यता के साथ नमूना सहायक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करना आवश्यक था, विभागीय पदोन्नति समिति ने संबंधित कर्मचारियों की पात्रता और दस्तावेजों का परीक्षण किया, अब यहाँ भी कई दस्तावेजी सवाल हैं 13 कर्मचारियों की मूल नियुक्ति की तारीख क्या है? उनकी नियुक्ति किस भर्ती नियम के तहत हुई? नियुक्ति के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या थी? 10 वर्ष की सेवा किस तारीख को पूरी हुई? क्या सभी 13 कर्मचारी एक ही तारीख अथवा अलग-अलग तारीखों में पात्र हुए? पदोन्नति के समय वरिष्ठता सूची क्या थी? क्या सभी पात्र कर्मचारियों पर समान मानदंड लागू किया गया? यदि इन सभी प्रश्नों के दस्तावेज उपलब्ध हैं तो विवाद समाप्त करने में विभाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

डीपीसी ने जांच की तो डीपीसी की पूरी कार्यवाही सार्वजनिक क्यों नहीं? -विभाग का सबसे मजबूत बचाव ही अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है, विभाग कहता है कि विभागीय पदोन्नति समिति ने गहन जांच की, तो फिर जनता को यह जानने का अधिकार क्यों न हो कि समिति ने क्या जांच की? डीपीसी में कौन-कौन सदस्य थे? बैठक कब हुई? कुल कितने कर्मचारी पात्र थे? कितनों के दस्तावेजों की जांच हुई? किस कर्मचारी की कौन-सी डिग्री स्वीकार की गई? क्या किसी कर्मचारी की योग्यता पर आपत्ति आई? क्या किसी कर्मचारी का नाम पात्रता सूची से बाहर हुआ? वरिष्ठता सूची का आधार क्या था? डीपीसी की अनुशंसा किस अधिकारी ने मंजूर की? इन सवालों के जवाब डीपीसी की कार्यवाही और संबंधित नोटशीट से मिल सकते हैं।

प्रतियोगी परीक्षा बनाम विभागीय पदोन्नति...अंतर समझना होगा-खाद्य सुरक्षा अधिकारी तकनीकी और नियामकीय जिम्मेदारी वाला पद है, FSSAI के नियमों में शैक्षणिक योग्यता के साथ प्रशिक्षण की शर्त भी है, ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो विभागीय पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों के लिए कौन-सी चयन प्रक्रिया लागू होती है? क्या केवल वरिष्ठता और शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त है? क्या कोई विभागीय परीक्षा हुई? क्या दक्षता परीक्षण हुआ? क्या प्रशिक्षण कराया गया? या भर्ती नियम में विभागीय पदोन्नति के लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित है? इसका जवाब भर्ती नियम की संबंधित अनुसूची और डीपीसी की कार्यवाही से ही तय होगा, इसलिए इस सवाल पर बिना दस्तावेज किसी कर्मचारी की योग्यता पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन विभाग से पारदर्शी जवाब मांगना बिल्कुल उचित है।

प्रेस विज्ञप्ति में हस्ताक्षर का सवाल भी क्यों महत्वपूर्ण? -चार पेज की प्रेस विज्ञप्ति के अंतिम हिस्से

में नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ का पदनाम अंकित है, दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी हैं, अब यदि यह दावा किया जा रहा है कि हस्ताक्षर नियंत्रक के नहीं बल्कि किसी अन्य अधिकृत अधिकारी जैसे सहायक औषधि नियंत्रक एवं स्थापना शाखा प्रभारी द्वारा किए गए हैं, तो सवाल सीधा है, क्या संबंधित अधिकारी को नियंत्रक की ओर से इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का विधिवत अधिकार प्राप्त था? यह किसी अधिकारी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, यह केवल प्राधिकरण की वैधता से जुड़ा प्रशासनिक सवाल है, यदि प्राधिकरण आदेश है तो उसे सार्वजनिक किया जा सकता है, इससे यह विवाद भी तत्काल समाप्त हो जाएगा।

डीपीसी के सदस्यों को लेकर भी पारदर्शिता जरूरी-इस पूरे मामले में डीपीसी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभाग स्वयं अपने खंडन में समिति की जांच को पदोन्नति का आधार बता रहा है, ऐसे में समिति के गठन को लेकर उठने वाले सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यदि किसी सदस्य के खिलाफ न्यायालय में कोई मामला लंबित है, कोई विभागीय विवाद है अथवा उसकी भूमिका को लेकर कोई आपत्ति है, तो केवल इस आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन यह जरूर पूछा जा सकता है कि क्या डीपीसी सदस्यों के चयन के लिए कोई स्पष्ट मानदंड था? क्या हितों के टकराव से बचने की कोई व्यवस्था अपनाई गई? क्या सभी सदस्यों ने निष्पक्षता संबंधी घोषणा की? और सबसे महत्वपूर्ण है की क्या डीपीसी की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड पर उपलब्ध है?

विभाग ने आरोप का खंडन किया, लेकिन आरोपों की तह तक जाने की जरूरत अभी बाकी- इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि विभाग ने प्रकाशित खबर को पूर्णतः असत्य, निराधार एवं काल्पनिक बताया है, लेकिन एक मजबूत खंडन केवल यह बताने से पूरा नहीं होता कि 'हमने नियम के अनुसार किया।' अगर सवाल नियम पर है तो नियम की प्रति दीजिए, अगर सवाल योग्यता पर है तो नियुक्ति के समय की योग्यता बताइए, अगर सवाल 25 प्रतिशत कोटा पर है तो प्रस्ताव की फाइल दिखाइए, अगर सवाल पदोन्नति पर है तो डीपीसी की कार्यवाही बताइए, अगर सवाल वरिष्ठता पर है तो वरिष्ठता सूची सामने रखिए, अगर सवाल सीधी भर्ती पर है तो भर्ती प्रक्रिया की स्थिति बताइए, और अगर सवाल प्रेस विज्ञप्ति के हस्ताक्षर पर है तो अधिकृत अधिकारी का आदेश बताइए, दस्तावेज सामने आएं तो विवाद स्वतः खत्म हो जाएगा।

सवाल किसी कर्मचारी के खिलाफ नहीं, व्यवस्था की पारदर्शिता के पक्ष में-यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी कर्मचारी की डिग्री योग्यता या पदोन्नति पर अंतिम फैसला समाचार रिपोर्ट के आधार पर नहीं किया जा सकता, यदि विभाग के पास वैध नियम, पात्रता और डीपीसी की विधिवत अनुशंसा है तो वही निर्णायक दस्तावेज होंगे, लेकिन उसी तरह किसी खबर को केवल 'निराधार' कह देने से भी सभी सवाल समाप्त नहीं हो जाते, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का काम सीधे जनता के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इस पद पर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी, विभाग की विश्वसनीयता उतनी ही मजबूत होगी।

मामले को एक झटके में स्पष्ट करने के लिए विभाग यदि निम्न दस्तावेज सार्वजनिक कर दे तो विवाद काफी हद तक समाप्त हो सकता है:-

- 6 मई 2026 के भर्ती नियम संशोधन की अधिसूचना।
- 10 से 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटा बढ़ाने की फाइल/प्रस्ताव की तारीख।

- कुल स्वीकृत एवं रिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदों की स्थिति।
- 13 पदोन्नत कर्मचारियों की मूल नियुक्ति आदेश की प्रतियां।
- उनकी नियुक्ति के समय उपलब्ध शैक्षणिक योग्यता।
- वर्तमान पदोन्नति की पात्रता सूची एवं वरिष्ठता सूची।
- डीपीसी की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा।
- सीधी भर्ती के 75 प्रतिशत कोटे की वर्तमान स्थिति।
- पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण संबंधी प्रक्रिया, यदि लागू हो।
- प्रेस विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का प्राधिकरण आदेश, यदि हस्ताक्षरकर्ता नियंत्रक स्वयं नहीं हैं।

खंडन नहीं, दैनिक घटती-घटना के सवालों का जवाब दीजिए-जिस प्रतिष्ठित अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग खंडन छपवाने की कवायद में जुटा, उसी मामले पर दैनिक घटती घटना करीब 50 खबरों के जरिए लगातार सवाल उठा चुका है, अब जरूरत खंडन की नहीं, उन सवालों के तथ्यात्मक और दस्तावेजी जवाब की है, एक प्रतिष्ठित अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने उसका खंडन जारी कर दिया, लेकिन दैनिक घटती-घटना इस पूरे मामले पर शुरुआत से लगातार खबरें प्रकाशित कर कई गंभीर सवाल उठा चुका है, अब तक इस मामले में करीब 50 खबरें प्रकाशित होने की स्थिति बन रही है, ऐसे में सवाल यह है कि यदि विभाग के पास पूरे मामले में नियमसम्मत प्रक्रिया और पारदर्शिता के पर्याप्त दस्तावेज हैं, तो उन सवालों का जवाब सीधे दैनिक घटती-घटना को क्यों नहीं दिया जा रहा? खंडन किसी एक खबर का जवाब हो सकता है, लेकिन लगातार उठाए जा रहे सवालों का विकल्प नहीं, दैनिक घटती-घटना ने जिन बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं, उनमें 13 नमूना सहायकों की मूल नियुक्ति, उनकी नियुक्ति के समय की शैक्षणिक योग्यता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद की निर्धारित पात्रता, 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए गए पदोन्नति कोटे की टाइमिंग, राजपत्र संशोधन की प्रक्रिया, सीधी भर्ती और पदोन्नति के क्रम तथा विभागीय पदोन्नति समिति की भूमिका जैसे सवाल शामिल हैं, विभाग की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे और 13 कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, इसलिए अब सवाल किस अखबार ने क्या लिखा? का नहीं, बल्कि दैनिक घटती-घटना द्वारा लगातार उठाए गए सवालों का जवाब क्या है? का है।

प्रतिष्ठित अखबार को भी सवाल पूछना चाहिए

यदि विभाग किसी प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित खबर को गलत बताकर खंडन जारी कर सकता है, तो उसी गंभीरता से यह भी पूछा जाना चाहिए कि दैनिक घटती-घटना द्वारा लगातार प्रकाशित खबरों में उठाए गए सवालों का जवाब विभाग ने अब तक क्यों नहीं दिया? क्या विभाग के पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं? या जवाब हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने से बचा जा रहा है? यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप हुआ है, तो नियुक्ति आदेश, भर्ती नियम, राजपत्र संशोधन, डीपीसी की कार्यवाही, पात्रता सूची और पदोन्नति से संबंधित दस्तावेज सामने रखे जाने चाहिए, क्योंकि करीब 8 महीने में 50 खबरों के बाद भी यदि सवाल वहीं खड़े हैं, तो एक प्रेस विज्ञप्ति से मामला खत्म नहीं होगा, अब खंडन नहीं-दस्तावेज चाहिए, जवाब चाहिए और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता चाहिए।